साप्ताहिक
नीमच हेडलाइंस
पंजीयन क्रमांक- MPHIN/2018/76962
ISO 9001:2015 CERTIFIED
सफलता पहले से की गयी तयारी पर निर्भर है, और बिना ऐसी तयारी के असफलता निश्चित
अंचल का तेज़ी से बढ़ता न्यूज़ नेटवर्क...
NEEMUCH HEADLINES
ख़बर वही, जो हम दिखाते है..
साप्ताहिक समाचार पत्र, एप, वेब पोर्टल और न्यूज़ चैनल
संस्थापक- स्व.इंद्रदेव जी जाजपुरा | प्रधान सम्पादक - अविनाश जाजपुरा
वर्ष - 08 | अंक- 03 | नीमच, बुधवार 9 से 15 जुलाई 2025 तक | कुल पृष्ठ - 08 | मूल्य - 5₹

न्यूज़ इनबॉक्स

दिव्यांग बच्चे की पिकअप वाहन से कुचलने के कारण मौत

सरवानिया महाराज चौकी क्षेत्र के मोड़ी गांव में एक दिव्यांग बच्चे की पिकअप वाहन से कुचलने के कारण मौत हो गई। घटना मंगलवार रात 8 बजे की है। बच्चा घर के बाहर खेल रहा था। मृतक के पिता मान

सिंह ने पिकअप ड्राइवर अशोक जायसवाल पर हत्या का आरोप लगाया है। परिवार का कहना है कि यह एक्सीडेंट नहीं बल्कि सोची समझी साजिश है। दो साल पहले आदित्य के परिवार और अशोक जायसवाल के बीच रास्ते को लेकर विवाद हुआ था, जो थाने तक पहुंचा था। चलने-फिरने में असमर्थ आदित्य घर के बाहर खेल रहा था। परिजनों का आरोप है कि अशोक ने पुराने विवाद की रंजिश में जानबूझकर पिकअप से आदित्य को कुचल दिया। घटना के बाद आरोपी अशोक मौके से फरार हो गया।

आरोपी ड्राइवर मौके से फरार

पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और आरोपी की तलाश जारी है। पुलिस घटना के सभी पहलुओं की जांच कर रही है। मृतक के परिजनों ने निष्पक्ष जांच और दोषी को कड़ी सजा देने की मांग की है। बुधवार दोपहर पुलिस ने आदित्य के शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंप दिया।

ग्राहक बनकर ज्वेलरी शॉप पर पहुंचे 6 लाख के गहनों से भरी डिब्बी ले गए

मनासा में एक सर्राफा दुकान से 6 लाख रुपए के सोने के जेवर चोरी हो गए। मंगलवार शाम करीब 5 बजे की यह घटना अल्हेड गेट चौराहे पर स्थित कैलाश चंद्र सोनी की दुकान में हुई। दो महिलाएं और एक पुरुष ग्राहक बनकर दुकान में आए। उन्होंने नकली सोने की बाली दिखाकर वैसा ही मॉडल मांगा और अन्य जेवर भी देखे। कुछ देर बाद वे बिना कुछ खरीदे चले गए। बाद में जांच में पता चला कि 58 ग्राम सोने से भरी एक डिब्बी गायब है। इसमें टॉप्स, झुमकी, पैंडल और अन्य मिक्स आइटम थे। सीसीटीवी फुटेज में आरोपी लाल रंग की बिना नंबर की होंडा फैशनप्रो से आते और जाते दिखे। थाना प्रभारी शिव रघुवंशी ने बताया कि फुटेज के आधार पर जांच जारी है। सर्राफा एसोसिएशन अध्यक्ष महेंद्र सोनी ने बताया कि पुलिस के बाजार में लगाए गए तीन सीसीटीवी कैमरे पिछले एक साल से बंद हैं। जिस दुकान में चोरी हुई, वहां भी कैमरे नहीं लगे थे। व्यापारियों ने इस घटना को पुलिस प्रशासन की लापरवाही का नतीजा बताया है। सर्राफा संघ ने नगर परिषद और पुलिस प्रशासन के खिलाफ नाराजगी जताई है।

राजस्थान एटीएस द्वारा नीमच के कैंट थाना क्षेत्र से इनामी आरोपी गिरफ्तार

नीमच। राजस्थान पुलिस की स्पेशल फोर्स ने मंगलवार को नीमच के कैंट थाना क्षेत्र से एक इनामी आरोपी को पकड़ा। विश्वनाथ प्रताप उर्फ वीपी सिंह नाम का यह आरोपी चित्तौड़गढ़ जिले के मंगलवाड़ थाने में दर्ज एनडीपीएस एक्ट के मामले में फरार चल रहा था। राजस्थान पुलिस ने इस पर 5 हजार रुपए का इनाम घोषित कर रखा था। आरोपी के घर पर 5 दिन पहले ही फायरिंग हुई थी। पुलिस को देखते ही आरोपी ने भागने की कोशिश की। लेकिन स्पेशल फोर्स ने उसे पकड़ लिया। कैंट थाना पुलिस भी मौके पर पहुंची। आरोपी को करीब 2 घंटे तक थाने में रखा गया। राजस्थान पुलिस ने वारंट तामील करने के बाद उसे 3 महीने की मोहलत दी है। जीरन थाना क्षेत्र के गांव केरी का रहने वाला वीपी सिंह पहले नीमच शहर में एक बर्तन की दुकान पर काम करता था। एनडीपीएस केस दर्ज होने के बाद वह फरार हो गया। फरारी के दौरान ही वह एक बड़ी फर्नीचर दुकान का मालिक बन गया। वह इसी दुकान को संचालित कर रहा था। थाने में कार्रवाई के दौरान भीड़ भी जमा हो गई थी। तीन महीने बाद पुलिस फिर से गिरफ्तारी की कार्रवाई करेगी।

नीमच हेडलाइंस की खबर का बड़ा असर

"EPRA INDIA" की फर्जी लॉटरी स्कीम का भांडाफोड़, संचालक सतीश पाटीदार पर विभिन्न धाराओं में FIR दर्ज

ब्यूरो रिपोर्ट - निखिल सोनी

पिपलिया मंडी। मंदसौर जिले के पिपलिया मंडी और आसपास के क्षेत्र में लॉटरी के नाम पर भोली-भाली जनता से ठगी करने वाली EPRA INDIA कंपनी पर आखिरकार पुलिस ने शिकंजा कस दिया है। नीमच हेडलाइंस की लगातार और साहसिक खबरों के बाद प्रशासन हरकत में आया और कंपनी संचालक सतीश पाटीदार के खिलाफ FIR दर्ज की गई।

क्या है पूरा मामला :-

EPRA इंडिया कंपनी द्वारा पिछले कुछ समय से ग्रामीणों को स्कॉर्पियो, थार जैसी गाड़ियों का इनाम दिखाकर 300 से 600 तक की रसीदें कटवाई जा रही थीं। बदले में उनकी व्यक्तिगत जानकारी एकत्र की जा रही थी। यह पूरा फर्जीवाड़ा लॉटरी ड्रॉ योजना के नाम पर चलाया जा रहा था। जिसमें कमीशन के लालच में बड़ी मात्रा में ग्रामीण क्षेत्र के एजेंटों का सहारा लिया जा रहा था।

पत्रकार की सजगता बनी उदाहरण :-

क्षेत्र के स्थानीय पत्रकार निखिल सोनी ने पूरे मामले की जांच कर इसकी शिकायत पुलिस अधिकारियों से की। जैसे ही नीमच हेडलाइंस पर समाचार

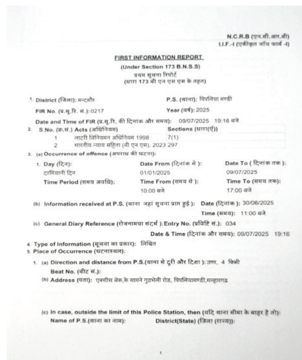

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)
I.I.F.-I (एकीकृत जाँच फार्म -I)

FIRST INFORMATION REPORT
(Under Section 173 B.N.S.S)
प्रथम सूचना रिपोर्ट
(धारा 173 बी एन एस एस के तहत)

1. District (जिला): मन्दसौर P.S. (थाना): पिपलिया मण्डी
FIR No. (प्र.सू.रि. सं.): 0217 Year (वर्ष): 2025
Date and Time of FIR (प्र.सू.रि. की दिनांक और समय): 09/07/2025 19:16 बजे
2. S.No. (क्र.सं.) Acts (अधिनियम) Sections (धारा(एं))
1 लाटरी विनियमन अधिनियम 1998 7(1)
2 भारतीय न्याय संहिता (बी एन एस), 2023 297
3. (a) Occurrence of offence (अपराध की घटना):
1. Day (दिन): दरमियानी दिन Date From (दिनांक से): 01/01/2025 Date To (दिनांक तक): 09/07/2025
Time Period (समय अवधि): Time From (समय से): 10:00 बजे Time To (समय तक): 17:00 बजे
(b) Information received at P.S. (थाना जहां सूचना प्राप्त हुई): Date (दिनांक): 30/06/2025 Time (समय): 11:00 बजे
(c) General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ): Entry No. (प्रविष्टि सं.): 034 Date & Time (दिनांक और समय): 09/07/2025 19:16
4. Type of Information (सूचना का प्रकार): लिखित
5. Place of Occurrence (घटनास्थल):
1. (a) Direction and distance from P.S. (थाना से दूरी और दिशा): उत्तर, 4 किमी
Beat No. (बीट सं.):
(b) Address (पता): एक्सीस बैंक के सामने गुडभेली रोड, पिपलियामण्डी, मल्हारगढ
(c) In case, outside the limit of this Police Station, then (यदि थाना सीमा के बाहर है तो):
Name of P.S. (थाना का नाम): District(State) (जिला (राज्य)):

प्रकाशित हुआ, कंपनी से जुड़े लोगों ने खबर दबाने के लिए पत्रकार पर दबाव डालने की कोशिश की, लेकिन सच्चाई को सामने लाने की पत्रकारिता की ताकत ने फर्जीवाड़े की पोल खोल दी।

नीमच हेडलाइंस का असर - फर्जीवाड़ा उजागर, जनता को राहत -

सच्ची पत्रकारिता की जीत – जनता की आवाज़ बनी "नीमच हेडलाइंस" एक बार फिर आम जनता में भरोसा और विश्वास बड़ा और नीमच हेडलाइंस लगातार ऐसे फर्जी मामलो को उजागर करता रहेगा।

पुलिस प्रशासन की आमजन से अपील :-

थाना प्रभारी शिवांशु मालवीय ने क्षेत्रवासियों से अपील की है कि कोई भी इस तरह की इनामी योजना या स्कीम में नही फंसे पहले पूरी जानकारी लें और यदि कोई भी फर्जीवाड़ा नजर आए तो तुरंत नजदीकी थाने में शिकायत करें। साथ ही, किसी अज्ञात व्यक्ति को अपनी निजी जानकारीया सांझा ना करे ।

फर्जीवाड़े के खिलाफ कार्रवाई से आमजनता में पुलिस के प्रति बढ़ा भरोसा :-

थाना प्रभारी शिवांशु मालवीय के मार्गदर्शन में सब इंस्पेक्टर नितिन कुमावत द्वारा मामले की जांच की गई। जांच के बाद थाना पिपलिया मंडी में लॉटरी अधिनियम 1998 की धारा 7(1) और भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 297 के तहत प्रकरण पंजीबद्ध किया गया।

सड़क दुर्घटना रोकने जिलों में चलेगा "जीरो फेटेलिटी डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम"

परिवहन विभाग ने सभी कमिश्नर्स एवं जिला कलेक्टर्स को जारी किये निर्देश

नीमच केन्द्र सरकार के सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने देश के 100 ऐसे जिले जहां अधिक संख्या में घातक सड़क दुर्घटनाएं हो रही हैं, उन्हें "सेफ लाईफ फाउण्डेशन" के सर्वे के माध्यम से चिन्हित किया है। देश के चिन्हित इन 100 जिलों में मध्यप्रदेश के 6 जिले चिन्हित किये गये हैं। ये जिले धार, सागर, सतना, रीवा, जबलपुर एवं खरगोन हैं। धार जिले में वर्ष 2023 के आकलन अनुसार सबसे अधिक घातक सड़क दुर्घटनाएं हुई है। इन सड़क दुर्घटनाओं की गंभीरता को देखते हुए केन्द्र सरकार द्वारा "जीरो फेटेलिटी डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम" के तहत सभी जिला प्रशासन से अनुरोध किया है कि इन सड़क दुर्घटनाओं के कारणों को चिन्हित करते हुए योजना तैयार की जाये। इसके बाद आवश्यक कार्य किए जाएं जिसे इन सड़क दुर्घटनाओं पर रोक लग सके।आईआईटी मद्रास के "Center of Exellence for Road Safety" द्वारा ऐसी रणनीति पर कार्य किया गया है, जिसके तहत प्रत्येक स्थल एवं सड़क कॉरिडोर जहाँ दुर्घटनाएं अधिक संख्या में हो रही हैं, वहां कम लागत वाले अति स्थानीय कार्यों को चिन्हित किया गया है। उन कार्यों के लिये जिला प्रशासन को सहयोग दिया जाएगा। इस संबंध में राज्य शासन के परिवहन विभाग की ओर से सभी कमिश्नर

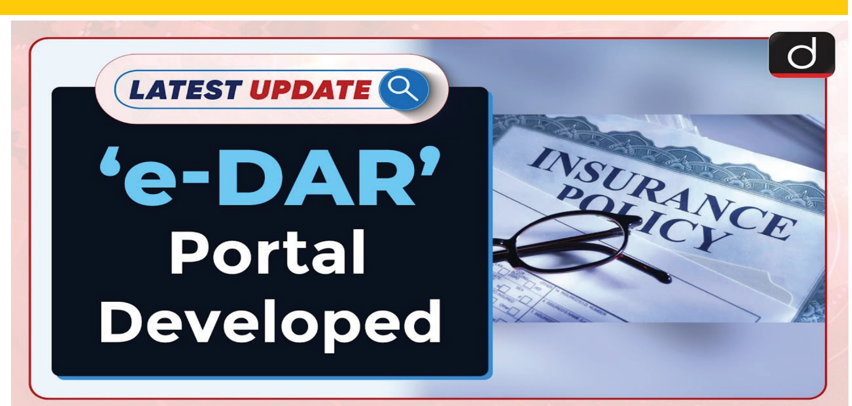

एवं जिला कलेक्टर्स को विस्तृत निर्देश जारी किये गये हैं। मुख्य सचिव द्वारा भी इस कार्य की लगातार समीक्षा की जा रही है। कार्य योजना के तहत सभी जिला कलेक्टर्स को निर्देशित किया गया है कि वे जिले में एडीएम अथवा एसडीएम स्तर के अधिकारी को नोडल अधिकारी नियुक्त करें तथा यह नोडल अधिकारी जिले की सड़क एजेन्सियों के अधिकारियों के साथ बैठक करके संभावित दुर्घटना स्थलों और सड़क कॉरिडोर की जानकारी संकलित करें। ऐसे स्थल अथवा सड़क कॉरिडोर जहां लगातार दुर्घटनाएं हो रही हैं उन्हें एनआईसी e-DAR पोर्टल से चिन्हित किया जा सकेगा। कुछ ऐसे स्थल, जहां संभावित घातक दुर्घटना हो सकती हैं तथा वर्तमान में छुटपुट दुर्घटनाएं निरंतर हो रही हैं, ऐसे स्थलों की जानकारी जैसे स्थानीय पुलिस, स्थानीय निकायों, आमजन आदि से एकत्रित करने के निर्देश कलेक्टर्स को दिये गये हैं।जिले के ऐसे चिन्हित सड़क दुर्घटनाओं के स्थल एवं सड़क कॉरिडोर का निरीक्षण सभी संबंधित सड़क एजेंसी के जिला अधिकारियों द्वारा व्यक्तिगत रूप से किया जायेगा।

जीरन पुलिस ने 40 किलो डोडाचूरा व 2 किलो 700 ग्राम अफीम सहित एक तस्कर गिरफ्तार

घटना में प्रयुक्त हुन्डई आई 20 कार भी जप्त

दुर्गाशंकर लाला भट्ट

जीरन। पुलिस अधीक्षक अंकित जायसवाल के निर्देशन, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक नवलसिंह सिसोदिया एवं अनुविभागीय अधिकारी नीमच सुश्री किरण चौहान के मार्गदर्शन में तथा थाना प्रभारी जीरन निरीक्षक उमेश यादव के नेतृत्व में चौकी प्रभारी चीताखेडा उनि. राजेन्द्र सिंह सिसोदिया की टीम ने एक हुण्डाई आई 20 कार कं, RJ 45 CF 8918 में रखे 2 प्लास्टिक के कट्टो में भरा 40 किलोग्राम अवैध मादक पदार्थ अफीम डोडाचूरा व 2 किलो 700 ग्राम अवैध मादक पदार्थ अफिम जप्त कर एक आरोपी को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की है। जानकारी अनुसार दिनांक 06.07.2025 को उनि. राजेन्द्र सिंह सिसोदिया ने मुखबिर सूचना प्राप्त होने पर एनडीपीएस एक्ट के समस्त आज्ञापक नियमों का पालन कर नाकाबंदी के दौरान आरोपी अशोक पिता हापुराम विश्नोई उम्र 37 वर्ष निवासी फीटकासनी तहसील लुणी जिला जोधपुर राजस्थान के कब्जे वाली हुण्डाई कार क्र. RJ 45 CF8918 की तलाशी के दौरान कार में रखे 2 प्लास्टिक की कट्टो में भरा कुल 40 किलोग्राम अवैध मादक पदार्थ अफीम डोडावुरा व 2 किलो 700 ग्राम अवैध मादक पदार्थ अफिम जप्त कर आरोपी को गिरफ्तार किया गया है तथा आरोपी के विरूध्द अपराध धारा 8/15,18 एनडीपीएस एक्ट का कायम कर अनुसंधान में लिया गया है। आरोपी से अवैध मादक पदार्थ के स्त्रोत एवं खपत के बारे में पुछताछ की जा रही हैं।

जप्ती माल विवरण :-

01.40 किलोग्राम अफीम डोडाचुरा किमती एक लाख बीसहजार रूपये02. 2 किलो 700 ग्राम अवैध मादक पदार्थ अफीम किमती पाँच लाख रु. 03. हुन्डई आई 20 कार क्र. RJ45CF8918 किमती आठ लाख रुपये

गिरफ्तार आरोपी :-

अशोक पिता हापुराम विश्नोई उम्र 37 वर्ष निवासी फीटकासनी तहसील तुणी जिला जोधपुर राजस्थान।

सराहनीय कार्य

उक्त कार्यवाही में चीताखेडा चौकी स्टाफ की सराहनीय भूमिका रही।

नीमच में युवा संगम कार्यक्रम (रोजगार मेला)

शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था (डुंगलावदा) में युवा संगम (रोजगार, स्वरोजगार, अप्रेन्टिसशिप मेला) कार्यक्रम आज 9 जुलाई को प्रातः11 बजे से एकबजे तक आयोजित किया जा रहा हैं। इच्छुक बेरोजगार युवक-युवतिया कार्यक्रम में उपस्थित होकर अवसर का लाभ ले सकते हैं।युवा संगम में जिले की प्रतिष्ठित एंव जिले से बाहर की कम्पनियों के प्रतिनिधियों द्वारा युवाओं को रोजगार, उपलब्ध कराया जाएगा।आवेदन हेतु अपनी सी.वी.,रिज्यूम की कॉपी साथ रोजगार संगम कार्यक्रम में उपस्थित होकर इसका लाभ उठा सकते हैं।

जिले के पशुपालक गोपालन कर अपनी आय बढ़ायें- विधायक परिहार

गोपाल कों को उत्कृष्ट गोपालन के लिए पुरस्कार वितरित

नीमच। किसान बन्धु उन्नत खेती के साथ गोपालन से दुध उत्पादन कर अपनी आय बढ़ा सकते हैं। मध्यप्रदेश शासन पशुपालन को बढ़ावा देने के लिए कई योजनाएं संचालित कर रही हैं। इन योजनाओं का पशुपालक लाभ ले सकते हैं। विधायक परिहार ने कहा, कि सहकारी समितियों के माध्यम से दुधारू पशुओं के लिए कार्यशील पूंजी के रूप में ब्याज मुक्त ऋण दिया जा रहा है।अतः सभी पशुपालक के.सी.सी. योजना का लाभ लें।यह बात विधायक नीमच श्री दिलीपसिह परिहार ने भारतीय उन्नत नस्ल की दुधारू गायों की जिला स्तरीय प्रतियोगिता के पुरस्कार वितरण समारोह में कही। जिला पंचायत कृषि स्थायी समिति की सभापति श्रीमती मनीषा धाकड़ ने कहा, कि पशु चिकित्सा विभाग द्वारा घर पहुँच पशु चिकित्सा सेवाएँ उपलब्ध करवाई जा रही है। अतः पशुपालक 1962 पर फोन लगाकर सेवा का लाभ ले सकते हैं। कृषि विज्ञान केन्द्र के प्रमुख डॉ.सी.पी.पचौरी ने कहा, कि उन्नत कृषि तथा जैविक कृषि तभी सम्भव होगी, जब किसान पशुपालन को अपनाएगें।उपसंचालक पशुपालन एवं डेयरी विभाग नीमच डॉ.राजेश पाटीदार ने विभिणीय योजनाओं पर प्रकाश डाला। पुरस्कार वितरण में प्रथम पुरुस्कार 51 हजार रूपये का श्री भगत वैरागी ग्राम टोलखेड़ी, द्वितीय पुरस्कार 21 हजार रूपये का श्री ईमरान बेग नीमच तथा तृतीय पुरुस्कार 11 हजार रूपये का श्रीमती अंगुरबाला बेनीवाल ग्राम केशरपुरा जावद को दिया गया। इस अवसर पर श्री किशोर दास बैरागी, श्री विश्वास पाटीदार, श्री दारासिंह, पशु चिकित्सा विभाग का अमला, प्रगतिशील पशुपालक, डेयरी सचिव एवं सुपरवाइजर तथा गौसेवक एवं मैत्री उपस्थित थे।कार्यक्रम का संचालन डॉ.गर्विता रूनवाल ने किया तथा आभार डॉ.ए.आर.धाकड़ ने व्यक्त किया।

+INDIAN RED CROSS SOCIETY+

(Constituted Under Act xv of 1920)
District Branch : NEEMUCH (M.P.)
Phone No. 07423-257133, Email :redcrossnmh110 @gmail.com
State President : Honorable Governor of Madhya Pradesh

NO./IRCS/ 2025-26/454 Date:- 8/7/2025

— : विज्ञप्ति : —

केन्द्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के सहयोग से भारतीय रेडकास सोसायटी जिला नीमच द्वा संचालित रेडक्रास नशामुक्ति केन्द्र नीमच में निम्नानुसार पदों की पूर्ति की जाना हैं । इच्छुक आवेदक अपना हस्तलिखि आवेदन पत्र मय दस्तावेज के साथ बंद लिफाफे में दिनांक 18/07/2025 को सायं 5:00 बजे तक प्रशासक भारतीय रेडक्रा सोसायटी, नीमच के नाम से रेडक्रास सोसायटी जिला चिकित्सालय के सामने नीमच में डाक से या स्वयं उपस्थित होकर ज करा सकते है।

क्र.	पद नाम	पद संख्या	आयु सीमा	न्यूनतम योग्यता एवं अनुभव	मानदेय प्रतिमाह
01	नर्स	01	21 से 40 वर्ष तक	जीएनएम/बीएससी नर्सिंग डिग्री के साथ एमएसजेएंडई द्वारा तय एजेन्सी द्वारा प्रशिक्षित होने के लिए इच्छुक होना चाहीए।	15,000/—
02	वार्ड बॉय	01	21 से 40 वर्ष तक	8 वी कक्षा उत्तीर्ण। तथा अस्पतालों/स्वास्थ्य देखभाल केन्द्रों/नशामुक्ति केन्द्रों में कार्य करने का अनुभव ।	13,000/—
03	पीयर एज्यूकेटर	01	21 से 40 वर्ष तक	साक्षर होना चाहिए, 01 से 02 वर्षो के लिए नशा त्याग चुका हो। ड्रग का उपयोग करने ,खरीदने या बेचने से परहेज करने के लिए सहमत होना ,हानिकारक नशीली दवाओं के उपयोग एवं पुनरावृत्ति की रोकथाम के साथ–साथ सहानुभुति जैसे गुण रखने वाले को प्राथमिकता।	10,000/—
04	चौकीदार	01	21 से 40 वर्ष तक	8वी कक्षा उत्तीर्ण। एवं सबंधित कार्य का एक वर्ष का अनुभव प्रमाण पत्र।	9,000/—

शर्ते :—

01. मानदेय संस्था के नियमानुसार दिया जावेगा ।
02. आवेदन पत्र बंद लिफाफे में ही स्वीकार्य किए जाएंगे।
03. एक आवेदक एक पद के लिए ही आवेदन करें।
04. लिफाफे के उपर अपना नाम, पद का नाम पता व मोबाईल न. अवश्य लिखें।
05. अंतिम तिथि पश्चात् प्राप्त आवेदनों पर विचार नही किया जावेगा।

डिप्टी कलेक्टर एवं सहायक प्रशास
भारतीय रेडक्रास सोसायटी
जिला नीमच (म.प्र.)

कार्यालय नगर परिषद् डीकेन्, जिला–नीमच(म.प्र.)

फोन 07420–257532,Email - cmodiken@mpurban.gov.in

क्रमांक/1097/2025 डीकेन्, दिनांक 04/07/2025

//दावा आपत्ति प्राप्त करने हेतु आवश्यक सूचना//

एतत द्वारा समस्त नागरिकों को सूचित किया जाता है कि नगरीय क्षेत्र डीकेन में वार्ड क्रमांक 01 से 15 तक में मध्यप्रदेश शासन नगरीय प्रशासन एवं आवास विभाग, मध्यप्रदेश भोपाल के निर्देश अनुसार प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 अंतर्गत द्वितीय चरण प्राप्त ऑनलाईन आवेदनों के दस्तावेज का मौक पर सत्यापन किए जाने के उपरांत सूची क्रमांक 1.1(प्रथम प्राथमिकता), सूची क्रमांक 1.2(द्वितीय प्राथमिकता), सूची क्रमांक 2, सूची क्रमांक 3 तैयार की गयी है। अनुमोदन हेतु वरिष्ठ कार्यालय को प्रेषित किए जाने के पूर्व दावे–आपत्ति प्राप्त किया जाना है। अतः समस्त प्राप्त आवेदनों के विरूद्ध किसी भी प्रकार की आपत्ति हो तो दिनांक 11.07.2025 समय शाम 05 बजे तक प्रमाणित साक्ष्य सहित दावे–आपत्ति प्रस्तुत कर सकते है। निर्धारित समय अवधि उपरांत किसी प्रकार की आपत्ति मान्य नहीं होगी, दावा–आपत्ति आमंत्रण की जाने वाली आवेदनकर्ताओं की सूची नगर परिषद डीकेन के नोटिस बोर्ड पर प्रदर्शित की गई है। जिसका अवलोकन कर निर्धारण समय अवधि में आपत्ति प्रस्तुत कर सकते है।

मुख्य नगरपालिका अधिकारी
नगर परिषद डीकेन

पृ. क्रमांक/1098/2025 डीकेन्, दिनांक 04/07/2025

किशनपुरा में किसान की निजी जमीन पर जबरन श्मशान निर्माण का प्रयास

नीमच जिले के किशनपुरा गांव में एक किसान की निजी कृषि भूमि पर जबरन श्मशान बनाने की कोशिश का मामला सामने आया है। पीड़ित किसान राहुल ने कलेक्टर को शिकायत सौंपते हुए बताया कि 7 जुलाई को करीब 25–30 लोगों ने जेसीबी मशीन से उसकी जमीन पर खुदाई कर पेड़ गिरा दिए। विरोध करने पर उसके साथ मारपीट और गाली-गलौज की गई। राहुल के अनुसार, यह जमीन उसके दादा सीताराम के नाम थी और अब उसकी खुद की मिल्कियत है। इससे पहले भी पंचायत द्वारा कब्जे की कोशिश की गई थी, जिसे तहसीलदार ने रोका था। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और जेसीबी मशीन हटवाई। राहुल ने मांग की है कि निजी भूमि पर अवैध कब्जे और हमले के प्रयास पर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए।

शिकायतों की माला पहनकर पहुंचा आदिवासी किसान

दबंगो ने किया जमीन पर कब्जा, प्रशासन नहीं कर रहा सुनवाई

नीमच कलेक्टर कार्यालय में होने वाली जनसुनवाई हर बार कुछ चौंकाने वाले मामले सामने लाती है, जहां आमजन न्याय की आस में नए-नए तरीके अपनाते हैं। ऐसा ही एक मामला आज भी देखने को मिला, जब अधिकारियों की उदासीनता से परेशान एक आदिवासी पीड़ित किसान कागजों की माला पहनकर कलेक्टर कार्यालय पहुंचा। जावद तहसील के उपरेड़ा निवासी मुकेश भील ने आरोप लगाया कि उसकी कृषि भूमि, जो नीलिया गांव में स्थित है, उस पर मुकेश पाटीदार नामक व्यक्ति ने जबरन कब्जा कर लिया है। पीड़ित का कहना है कि नीमच कलेक्टर के आदेश पर प्रशासन ने जमीन की नपती कर उसे उसका वैधानिक अधिकार दिलाया था, लेकिन कुछ समय बाद कब्जाधारियों ने नियमों को दरकिनार करते हुए फिर से जमीन पर अवैध कब्जा कर लिया। प्रशासन के चक्कर काटते-काटते थक चुके मुकेश भील ने आज विरोध का अनोखा तरीका अपनाया। वह अपनी सभी शिकायतों की प्रतियों को माला के रूप में गले में पहनकर जनसुनवाई में पहुंचे और न्याय की गुहार लगाई। इस पूरे मामले में एडीएम लक्ष्मी गामड़ ने किसान की शिकायत को गंभीरता से सुना और जल्द न्याय दिलाने का आश्वासन दिया।

बघाना पुलिस ने जीता गरीब परिवार का दिल

चंद घंटों में लापता बच्चों को ढूंढ परिजनों को सौंपा

नीमच। बघाना थाना प्रभारी नीलेश अवस्थी और उनकी टीम ने सराहनीय कार्य करते हुए लापता 5 वर्षीय बालक कार्तिक पिता दिनेश पारदी को मात्र 24 घंटे में सुरक्षित बरामद कर परिजनों को सौंप दिया। मोहर्रम ड्यूटी की व्यस्तता के बावजूद पुलिस टीम ने लगातार 14 घंटे तक मेहनत कर इस चुनौतीपूर्ण कार्य को अंजाम दिया। बच्चे के सकुशल मिलने पर उसकी मां भावुक हो उठीं और बघाना पुलिस का हृदय से आभार जताया। इस सफल कार्य में टीआई नीलेश अवस्थी, आरक्षक पंकज पाटीदार और आरक्षक राहुल डाभी की अहम भूमिका रही। बच्चे की मां और अन्य परिजनों ने पुलिस टीम को धन्यवाद देते हुए सेल्यूट किया और कहा कि "नीमच पुलिस पर हमें गर्व है। बघाना पुलिस की यह तत्काल और मानवता भरी कार्रवाई क्षेत्र में विश्वास और सुरक्षा की भावना को और मजबूत करती है

अक्षय को-ऑपरेटिव पर धोखाधड़ी का बड़ा आरोप

चेक बाउंस के फर्जी केस, अवैध वसूली और कुर्की की साजिश

मनासा और मंदसौर की अक्षय क्रेडिट को-ऑपरेटिव सोसाइटी पर धोखाधड़ी और अवैध वसूली के गंभीर आरोप लगे हैं। मंगलवार को बड़ी संख्या में पीड़ित कलेक्टर कार्यालय पहुंचे और अक्षय सोसाइटी के खिलाफ नारे लगाते हुए अनिश्चितकालीन धरने की चेतावनी दी। अक्षय क्रेडिट को-ऑपरेटिव सोसाइटी पर आरोप है कि ऋण चुकाने के बावजूद कोरे चेकों का दुरुपयोग कर मंदसौर शाखा ने चेक बाउंस के झूठे केस दर्ज करवाए। ब्रांच मैनेजरों पर फर्जी प्रमाणपत्रों के आधार पर कुर्की के आवेदन देने और अवैध वसूली का आरोप है। धरना स्थल पर एसडीएम संजीव साहू और सहकारिता विभाग के अधिकारी पहुंचे और प्रदर्शनकारियों से चर्चा की, लेकिन पीड़ितों ने स्पष्ट कहा कि जब तक उनकी शिकायतों का ठोस समाधान नहीं किया जाता, वे अपना आंदोलन जारी रखेंगे। वहीं प्रशासन ने अब इन आरोपों की निष्पक्ष जांच और त्वरित कार्रवाई की बात कही।

कार ने सांड और बालिका को मारी टक्कर फिर डिवाइडर से टकराई

नीमच। शहर के एलआईसी रोड पर सोमवार शाम एक तेज रफ्तार कार ने जमकर उत्पात मचाया। कार ने पहले एक सांड को टक्कर मारी और फिर सड़क पर चल रही एक बालिका को चपेट में ले लिया। अनियंत्रित गति में दौड़ती कार बाद डिवाइडर से टकरा गई। इस भयावह हादसे में कुल तीन लोग घायल हो गए, जबकि कार पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। घटना की सूचना मिलते ही केंट थाना पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रित करते हुए घायलों को तुरंत इलाज के लिए अस्पताल भेजा। जानकारी के अनुसार, कार भाटखेड़ी निवासी निर्मल पाटीदार चला रहा था और उसके साथ मनासा निवासी विकास यादव भी मौजूद था। हादसे के वक्त कार की स्पीड काफी अधिक थी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि राहगीरों में अफरा-तफरी मच गई। हालांकि, कार में एयरबैग खुल जाने के चलते चालक निर्मल पाटीदार को गंभीर चोटें नहीं आईं, लेकिन साथ बैठा युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। उसे तत्काल एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसका इलाज चल रहा है ।

राज्यस्तरीय निशादराज मछुआ सम्मेलन 2025 , 12 जुलाई को आयोजित किया जाना प्रस्तावित - कलेक्टर श्री सिंह

उज्जैन, कलेक्टर श्री रौशन कुमार सिंह ने सोमवार सुबह सम्राट विक्रमादित्य प्रशासनिक संकुल भवन के कलेक्टर कार्यालय सभागृह में समयावधि पत्रों की समीक्षा की। बैठक में कलेक्टर श्री सिंह ने जानकारी दी कि राज्यस्तरीय निशादराज मछुआ सम्मेलन 2025 12 जुलाई को आयोजित किया जाना प्रस्तावित है । कलेक्टर श्री सिंह ने बैठक में सीएम हेल्पलाइन शिकायत निराकरण की विभागवार समीक्षा कर जिले की प्रगति की जानकारी ली । सीएम हेल्पलाइन शिकायत निवारण में और अपने पदीय दायित्वों में लापरवाही बरतने पर कलेक्टर श्री सिंह ने सीएमओं नागदा के निलंबन का प्रस्ताव भेजने के निर्देश संबंधित एसडीएम को दिए । इसके पश्चात कलेक्टर श्री सिंह ने सभी विभागों की 50 दिन से अधिक लंबित शिकायतों के निराकरण की समीक्षा कर सभी शिकायतों का संतुष्टी पूर्वक निराकरण करने के आदेश दिए ।

‘एक बगिया माँ के नाम’ पौधारोपण अभियान

बैठक में जिला पंचायत सीईओ श्रीमती जयति सिंह ने ‘एक बगिया माँ के नाम’ पौधारोपण अभियान की कार्ययोजना की जानकारी दी । अभियान अंतर्गत प्रत्येक विकासखण्ड में 100 एकड़ भूमि पर पौधारोपण किया जाना है । स्व-सहायता समूहों की 600 महिलाओं की 600 एकड़ निजी भूमि पर पौधारोपण किया जाएगा । प्रत्येक महिला हितग्राहीयों की 1 एकड़ भूमि पर 100 फलदार पौधों का रोपण किया जाएगा। साथ ही पौधों की सुरक्षा के लिए तार फेंसींग और पर्याप्त जल उपलब्धता भी सुनिश्चित की जाएगी । अभियान अंतर्गत 50 हजार लीटर के जलकुंड का प्रावधान भी है। सिंहस्थ 2028 के दृष्टिगत अभियान अंतर्गत क्षिप्रा के किनारों पर भी पौधारोपण किया जाएगा । बैठक में कलेक्टर श्री सिंह ने समग्र ई-केवाईसी के कार्य प्रगति की समीक्षा कर कार्य जल्द पूर्ण करने के निर्देश दिए । बैठक में कलेक्टर श्री सिंह ने पीएम सुर्य घर मुफ्त बिजली योजना की समीक्षा की और विद्युत विभाग को उक्त योजना के कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए और सप्ताह में उक्त योजना अंतर्गत कार्य की प्रगति की जानकारी ली । उक्त योजना में हितग्राहीयों को छत पर सौलर पैनल लगानें पर बैंक द्वारा सब्सिडी प्रदान की जाती है और बिजली के बिल में भी कमी आती है ।

बैठक में शिक्षा विभाग द्वारा नवीन सत्र में किए जा रहे इनरालमेंट के कार्य ,आपार ऐंट्री के कार्यों की समीक्षा कर छात्रों का ड्रापआउट रेट कम करने सभी बीईओ और बीआरसी को निर्देश दिए कि कक्षा छः और स्कूलों के बदलाव की कक्षाओं में शत प्रतिशत छात्रों के इनरोलमेंट का कार्य सुनिश्चित करे । मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव के निर्देशानुसार शिक्षा विभाग के अधिकारी सभी छात्रों को पुस्तक वितरण समय से करवाना सुनिश्चित करे । बैठक में कलेक्टर ने शिक्षा विभाग को जिला स्तरीय टीम बनाकर जिले के सभी शासकीय शालाओं में औचक निरीक्षण कर छात्रों के हाथ में पुस्तकों की उपलब्धता की मोनिटरींग करने के निर्देश दिए । बैठक में आरटीओं और जिला शिक्षा अधिकारी को स्कूल बसों में आग से बचाव के उपकरण ,जीपीएस कैमरा ,बसों के फिटनेस सर्टीफिकेट आदि की उपलब्ध्ता सुनिश्चित करने के लिए सतत चेकींग करने के निर्देश दिए । बैठक में कलेक्टर ने कक्षा छः में इनरोलमेंट कम होने पर बड़नगर बीईओं को नोटिस जारी करने के निर्देश दिए । बैठक में कलेक्टर श्री सिंह ने स्वास्थ्य विभाग को निर्देशीत किया की यह सुनिश्चित किया जाए की जिले में अवैध पेथोलॉजी का संचालन ना हो । दुर्घटनाओं में कमी लाने के लिए पशु पालन विभाग को निर्देश दिए की हाईवे और सड़को पर मवेशी ना रहे इसका विशेष ध्यान रखा जाए । सड़क पर पाए जाने वाले मवेशियों को गौशाला में छोडा जाए और उनके चारा आदि का प्रबंध करे । सड़क दुर्घटना में घायलों का केशलेस ट्रिटमेंट पर भी नागरिकों को जागरुक करने के निर्देश स्वास्थ्य विभाग और आरटीओं को दिए गए । बैठक में मंडी बोर्ड के सचिव और उर्जा विकास निगम के टेकनिशीयन को कार्यों में लापरवाही बरतने पर नोटीस जारी करने के निर्देश दिए गए । बैठक में जिला पंचायत सीईओ श्रीमती जयति सिंह , एडीएम श्री प्रथम कौशिक ,नगर निगम आयुक्त श्री आशीष पाठक , स्मार्ट सिटी सीईओ श्री संदीप शिवा एवं सभी विभागों के जिला अधिकारी उपस्थित रहे।

जिले में 8 जुलाई से एकअगस्त तक चलेगा पशुपालन किसान क्रेडिट कार्ड सघन अभियान

कलेक्टर श्री हिमांशु चन्दा के निर्देशानुसार जिले के के.सी.सी. धारको के लिए पशुपालन एवं डेयरी विभाग द्वारा दुधारू पशुपालको के लिए पशु पालन के.सी.सी. प्रकरण तैयार कर बैंकों में प्रस्तुत करने हेतु सघन अभियान संचालित किया जा रहा है। उपसंचालक पशुपालन एवं डेयरी विभाग डॉ.राजेश पाटीदार ने बताया, कि यह अभियान 8 जुलाई 2025 से प्रारंभ होकर एकअगस्त 2025 तक चलाया जायेगा। अभियान में पशुपालन विभाग का अमला, उज्जैन दुग्ध संघ के सचिव तथा गौसेवक मैत्री घर-घर पात्र पशुपालकों के के.सी.सी. प्रकरण तैयार कर, बैंको को स्वीकृति हेतु प्रस्तुत करेगें। इस अभियान के दौरान पशुपालक के दुधारू पशुओं का सत्यापन कर कान में टैग लगाया जायेगा। डॉ. पाटीदार ने पशुपालकों से अनुरोध किया है कि फॉर्म भरने के दौरान के.सी.सी. धारक के भूमि सम्बन्धी दस्तावेज, के.सी.सी. खाते की छायाप्रति, आधार कार्ड या वोटर आई डी. की फोटो कॉपी, दो पासपोर्ट आकार के फोटो तथा दो गारण्टर के आधार कार्ड की स्वप्रमाणित फोटो कॉपी अवश्य् उपलब्ध कराएं। इस अभियान के लिए 7 जुलाई को स्वर्णकार समाज धर्मशाला नीमच में मैदानी अमले को पी.पी.टी. के माध्यम से अतिरिक्त उपसंचालक डॉ.ए.आर.धाकड़ ने प्रशिक्षण दिया। प्रशिक्षण में दो सौ प्रतिभागियों को मैदानी कार्य हेतु किट वित्तरित किये गये। किट में दस्तावेजों को वर्षा ऋृतु में सुरक्षित रखने हेतु बैग, परिचय-पत्र, ड्यूटी आदेश, आवंटित ग्रामों की सूची तथा के.सी.सी. धारकों की संख्या के साथ-साथ ग्रामवार के.सी.सी.धारकों की मय मोबाईल नम्बर सूचियों तथा पर्याप्त संख्या में के.सी.सी.के फॉर्म प्रदान किए गए।डॉ.पाटीदार ने बताया, कि मैदानी अमला प्रति सप्ताह जितने फॉर्म भरेगें उन्हें मय सूची के साथ प्रति शुक्रवार सहकारी समिति और सम्बन्धित बैंको को प्रस्तुत करते हुवे वरिष्ठ कार्यालय को संख्यात्मक जानकारी प्रेषित करेगें।25 दिन तक संचालित होने वाले इस अभियान हेतु 25 हजार के.सी.सी. के प्रकरण तैयार कर ।

बैंकों को प्रस्तुत करने का लक्ष्य रखा गया हैं।

प्रशिक्षण में जिले के सभी पशु चिकित्सा अधिकारी, सहकारी बैंक के क्षेत्रीय प्रबन्धक श्री आर.पी.नागदा, सहायक पशु चिकित्सा क्षेत्र अधिकारी, उज्जैन दुग्ध संघ के सचिव एवं सुपरवाईजर, गौसेवक मैत्री आदि उपस्थित थे।

प्रेक्षक बंसल ने रुणीजा, आंबा और अंगारी मतदान केंद्रों का औचक निरीक्षण किया

मंदसौर। मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल द्वारा जिला मंदसौर के जनपद पंचायत सीतामऊ के निर्वाचन क्षेत्र क्रमाक 23 के निर्वाचन सम्पन्न कराने हेतु नियुक्त प्रेक्षक श्री श्याम सुंदर बंसल ने रुणीजा, आंबा और अंगारी में मतदान केंद्रों का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान प्रेक्षक ने मतदान केंद्रों की आवश्यक व्यवस्था को देखा। उन्होंने निर्देश देते हुए कहा कि मतदान केंद्रों पर मतदाताओं को सभी तरह की आधारभूत सुविधाएं मिलनी चाहिए। मतदान केंद्र पर पीने का पानी, छांव इत्यादि की सुविधा प्रदान करें, इसके आवश्यक तैयारियां करें। मतदान केंद्र पर लाइट की व्यवस्था, सीसीटीवी कैमरे एवं अन्य सभी तैयारियां समय पर पूर्ण की जाए। जनपद पंचायत सीतामऊ के निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक 23 से सदस्य पद हेतु 12 उम्मीदवारों ने नाम दाखिल किए।

छात्रावास में प्रवेश के लिए 31 जुलाई तक कर सकेंगे आवेदन

पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण विभाग द्वारा संचालित पोस्ट मैट्रिक छात्रावास में प्रवेश के लिए आवेदन आमंत्रित

उज्जैन,सहायक संचालक पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण विभाग ने जानकारी दी कि विभाग द्वारा संचालित पिछड़ा वर्ग पोस्ट मैट्रिक कन्या/बालक छात्रावास में नवीन शैक्षणिक सत्र 2025-26 के लिए प्रवेश प्रारंभ हो गए हैं। जिसमें आवेदन किए जाने की अंतिम तिथि 31 जुलाई निर्धारित की गई है। इच्छुक छात्र-छात्राएं प्रवेश हेतु आवेदन पत्र कार्यालय पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण विभाग भरतपुरी में कार्यालयीन समय में जमा कर सकते हैं।

कार्यालय नगर परिषद डीकेन जिला नीमच (म.प्र.)

क्रमांक 1021/नामान्तरण/2025–26 डीकेन दिनांक 02/07/2025

::– नामान्तरण विज्ञप्ति ::–

एतद द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि नगर पंचायत सीमा क्षेत्र स्थित भवन/भूमि को नगर पंचायत संपत्तिकर/समेकित कर रजिस्टर में नाम दर्ज कराने हेतु आवेदन पत्र क्रय विक्रय रजिस्टर्ड अभिलेख एवं अन्य हस्तांतरण संबंधित लेख प्रस्तुत कर किये गये है ।

अतः कोई भी व्यक्ति निम्न के संबंध में किसी प्रकार की कोई आपत्ति हो तो 30 दिवस के भीतर समक्ष साक्ष्य सहित अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर सकते हैं । बाद अवधि के नामान्तरण कर दिया जावेगा ।

क्र.	स. क्र.	हस्तान्तरणकर्ता का नाम	हस्तान्तरण किस के हित में किया जाना	भवन / भूमि नं.	हस्तान्तरण का आधार	अवधि	रिमार्क
1	2	3	4	5	6	7	8
1	71	श्रीमती उलासबाई पति शिवलाल पाटीदार	श्री मनीषकुमार पिता रामचन्द्र सोडानी	वार्ड क्रमांक 06 में संपत्ति कं 151	रजिस्टर्ड अभिलेख	30 दिवस	–
2	72	नगर परिषद डीकेन	श्रीमती संगीता पति शिवदत्त परिहार	वार्ड क्रमांक 05 में नई संपत्ति	रजिस्टर्ड अभिलेख	30 दिवस	–
3	73	श्री रालिया पिता पांगला भील	श्रीमती समाबाई पति रालिया भील	वार्ड क्रमांक 12 में संपत्ति कं 240	म्रत्यु प्रमाण पत्र, शपथ पत्र	30 दिवस	–
4	74	श्री शिवनारायण पिता बालमुकुन्द राठौर	श्रीमती लच्छीबाई पति शिवनारायण राठौर	वार्ड क्रमांक 13 में संपत्ति कं 19	म्रत्यु प्रमाण पत्र, शपथ पत्र	30 दिवस	–
5	75	श्री भेरूलाल पिता सेवाराम भील	श्री पुनमचंद पिता भेरूलाल भील	वार्ड क्रमांक 12 में संपत्ति कं 186	म्रत्यु प्रमाण पत्र, शपथ पत्र	30 दिवस	–
6	76	नगर परिषद डीकेन	श्रीमती शिवशक्ति पति कन्हैयालाल बसेर	वार्ड क्रमांक 05 में नई संपत्ति	रजिस्टर्ड अभिलेख	30 दिवस	–
7	77	श्रीमती मांगीबाई पति नारूलाल पाटीदार	श्री भगतराम पिता नारूलाल पाटीदार	वार्ड क्रं 5 में संपत्ति कं 169 व वार्ड कं 6 में संपत्ति कं 20 मे से 1/4	म्रत्यु प्रमाण पत्र, शपथ पत्र	30 दिवस	–
8	78	श्रीमती मांगीबाई पति नारूलाल पाटीदार	श्री रामचन्द्र पिता नारूलाल पाटीदार	वार्ड क्रं 5 में संपत्ति कं 169 व वार्ड कं 6 में संपत्ति कं 20 मे से 1/4	म्रत्यु प्रमाण पत्र, शपथ पत्र	30 दिवस	
9	79	श्रीमती मांगीबाई पति नारूलाल पाटीदार	श्री कैलाशचंन्द्र पिता नारूलाल पाटीदार	वार्ड क्रं 5 में संपत्ति कं 169 व वार्ड कं 6 में संपत्ति कं 20 मे से 1/4	म्रत्यु प्रमाण पत्र, शपथ पत्र	30 दिवस	–
10	80	श्रीमती मांगीबाई पति नारूलाल पाटीदार	श्री गोपाल पिता नारूलाल पाटीदार	वार्ड क्रं 5 में संपत्ति कं 169 व वार्ड कं 6 में संपत्ति कं 20 मे से 1/4	म्रत्यु प्रमाण पत्र, शपथ पत्र	30 दिवस	–
11	81	श्रीमती धापुबाई पति भग्गा भांभी	श्री देवराज पिता भग्गा भांभी	वार्ड क्रमांक 01 में संपत्ति कं 48	म्रत्यु प्रमाण पत्र, शपथ पत्र	30 दिवस	–
12	82	श्री राधेश्याम पिता शालिगराम पाटीदार	श्री राधेश्याम पिता शालिगराम पाटीदार	वार्ड क्रमांक 05 में नई संपत्ति	रजिस्टर्ड अभिलेख	30 दिवस	–
13	83	श्री ओमप्रकाश,श्यामलाल पिता बंशीलाल सोनी	श्री आशुतोष पिता ओमप्रकाश सोनी	वार्ड क्रमांक 04 में संपत्ति कमांक 213	रजिस्टर्ड अभिलेख	30 दिवस	–
14	84	श्रीमती संतोषबाई पति गोविंदराम पाटीदार	श्रीमती किरणदेवी पति भगतराम पाटीदार	वार्ड क्रमांक 13 में संपत्ति कमांक 05	रजिस्टर्ड अभिलेख	30 दिवस	–

(श्रवण कुमार पाटीदार)
अध्यक्ष
नगर परिषद डीकेन

(अब्दुल रउफ खान)
मुख्य नगरपालिका अधिकारी
नगर परिषद डीकेन

ईमाम हुसैन की शहादत की याद मे रतनगढ मे मुस्लिम धर्मावलंबियों ने निकालें ताजिए, सोहार्द पूर्ण वातावरण मे मनाया मोहर्रम का मातमी पर्व

ब्यूरो रिपोर्ट - निर्मल मूंदड़ा

रतनगढ़। में मुस्लिम समाज के धर्मावलंबियों ने कर्बला की लड़ाई में पैगंबर मोहम्मद साहब के नवासे ईमाम हुसैन एवं उनके साथियों की शहादत की याद में मोहर्रम के मातमी पर्व के अवसर पर नगर में छोटी मस्जिद एवं बड़ी मस्जिद दोनों स्थानों से मुस्लिम समाज के वरिष्ठ जनो के नेतृत्व मे बैंड बाजे, ढोल, ताशो व लैझिम की मातमी धुन के साथ अलग-अलग ताजिए निकाले गए। इस अवसर पर समाज के नायब सदर सारिक भाई पठान, आजाद भाई, ईकरार भाई, असलम भाई अन्ना, शरिफशाह, अनिस खान पठान सहित बड़ी संख्या में मुस्लिम समाज के महिला-पुरुष व युवक- युवतियों की उपस्थिति में जाट, गरवाड़ा, रतनगढ आदि स्थानों के अखाड़ों के कलाकारों द्वारा स्थानीय गांधी चबुतरे के सामने सब्जी मंडी परिसर पर हैरत अंगेज करतब दिखाए गए। इस दौरान एक दिन पूर्व रात्रि में एवं सुबह मुस्लिम समाज जनो द्वारा कई स्थानो पर अलग- अलग छबिल लगाकर शीतल जल व शर्बत पिलाया गया। सुबह 10 बजे से छोटी व बड़ी दोनो मस्जिदो से निकाले गए ताजियो को पूर्व निर्धारित सभी प्रमुख मार्गो से होते हुए सोहार्द पूर्ण वातावरण मे निकाला गया। दोनो मस्जिदों से निकाले गए ताजियो के कांरवो का दोपहर मे स्थानीय सदर बाजार स्थित झंडा चौक में आकर एक साथ मिलन हुआ। यहां पर समाज के वरिष्ठ जनो द्वारा सभी अखाड़ों के उस्तादों एवं प्रमुख लोगों के साफा पहनाकर सम्मान किया गया।जहां से दोनों ताजियो का कारवां एक साथ झंडा चौक सदर बाजार से होते हुए पुनः देर शाम अपने-अपने निर्धारित गंतव्य स्थानों पर पहुंचा।जहां से देर रात्रि मे पुनः मुस्लिम समाज के महिला पुरुषों द्वारा इबादत के पश्चात करबला ठंडा करने के लिए ले जाया गया। पूरे आयोजन के दौरान तहसीलदार बी. एल. डाबी, रतनगढ थाने से श्याम सिंह नागलोद, कस्बा पटवारी विनय तिवारी, पुलिस आरक्षक संदिप जाट क्षेत्र के सभी चोकीदार, नगर परिषद कर्मचारी आदि डटे रहे। पुलिस प्रशासन की व्यवस्था भी पूरी तरह से चाक-चौबंद रही। इस दौरान पूरा स्टॉप मुस्तेदीसे डटार हा।

बिसलवास खुर्द स्थित तालाब-तलाई पर कुछ ग्राम वासियों ने किया अवैध अतिक्रमण जनसुनवाई में आया मामला

नीमच। नीमच जिले के अंतर्गत आने वाले ग्राम बिसलवास खुर्द में वर्षों पुराना तालाब स्थित है। उक्त तालाब में कुछ ग्रामवासियों द्वारा मुरहम डाल कर तालाब को भरने का प्रयास किया गया जिस पर ग्राम सरपंच एवं सचिव द्वारा उन्हे ऐसा करने से रोका गया। उनके द्वारा गामवासियों को समझाया गया कि तालाब को बंद करने से कोई लाभ नही होगा अपितु गर्मीयों में भूजल स्तर को बनाये रखने एवं पशु पक्षियों के पीने के लिये तालाब का उपयोग होता है एवं प्राकृतिक उद्देश्यों हेतु होता आया है। ग्रामवासियों द्वारा अड़ियल तरीके से तालाब पर मुरहम बिछाकर उसे ढंक दिया गया है। ग्रामवासियों की मंशा तालाब की जगह डोम बनाने की है। वे इस बात की जिद करके सरपंच व सचिव को परेशान कर दबाव बना रहे है। इसी मामले को लेकर जनहित में ग्राम बिसलवास खुर्द से सुश्री ममता नागदा पिता कैलाश चंद्र नागदा ने आज जनसुनवाई में आकर एक शिकायती आवेदन जिला कलेक्टर के समक्ष दिया उन्होंने जनहित में इस मामले को गंभीरता से रखते हुए बताया कि तालाब विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत बनाए जाते हैं जिससे पशु पक्षियों और जानवरों को गर्मी में राहत मिलती है। शासन और प्रशासन द्वारा एक और जलस्तर बढ़ने के लिए तालाब खुदवाए जा रहे हैं ऐसे में कुछ ग्रामवासी अपना निजी लाभ रखते हुए बने हुए तालाब को बंद करने का प्रयास कर रहे हैं। ओर उक्त तालाब की जमीन पर अवैध अतिक्रमण कर रहे है। प्रशासन को इस मामले में गंभीर कार्यवाही करते हुए ऐसे लोगों को खिलाफ कार्य करते हुए तालाब को बचाने की पहल करनी चाहिए। सर्व समाज के हित हेतु सार्वजनिक डोम के लिये भूमि सर्वे नम्बर 346 शासकीय भूमि नौयत पहाड है जो कि शाला से लगी भूमि है। या अन्य शासकीय भूमि पर डोम का निर्माण किया जावें। शिकायत कर्ता ने आवेदन में बताया कि भूमि सर्वे नम्बर 442 रकबा 0.450 हे. भूमि पुरानी तलाई की भूमि को अतिक्रमण से मुक्त करवाया जावें।

प्रदेश की लाड़ली बहनों को 12 जुलाई को मिलेगी राशि : मुख्यमंत्री डॉ. यादव

नीमच। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि लाडली बहनों के खाते में 12 जुलाई को राशि अंतरित की जाएगी। उन्होंने कहा कि अगले माह अगस्त में रक्षाबंधन के अवसर पर लाड़ली बहना योजना के तहत वर्तमान में दी जा रही मासिक आर्थिक सहायता राशि के साथ 250 रूपए की विशेष सहायता राशि भी अंतरित की जाएगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश की करीब 1.27 करोड़ लाड़ली बहनों को इसका सीधा लाभ मिलेगा। मुख्यमंत्री डॉ. यादव बुधवार को मंत्रालय में मंत्रि-परिषद की बैठक से पहले मंत्रीगण को संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने बताया कि मध्यप्रदेश सरकार के एक नवाचार को दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय ने भी अपना लिया है। मध्यप्रदेश की तरह जेएनयू दिल्ली में भी कुलपति अब कुलगुरु के नाम से जाने जाएंगे। जेएनयू ने मध्यप्रदेश से प्रेरणा लेकर यह कदम उठाया है।मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि गुरु पूर्णिमा 10 जुलाई को है। इस दिन प्रदेश के सभी विद्यालयों एवं महाविद्यालय में दो दिवसीय गुरु पूर्णिमा उत्सव कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इन कार्यक्रमों में जिले के प्रभारी मंत्री भी प्रमुखता से शामिल होंगे। उन्होंने कहा कि गुरु पूर्णिमा कार्यक्रम में स्थानीय जनप्रतिनिधि, प्रबुद्ध नागरिक, गुरुजन एवं साधु संतों की भागीदारी भी सुनिश्चित की जाए। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि गुरु पूर्णिमा के अवसर पर भोपाल शहर में (कमला नेहरू स्कूल) सांदीपनि विद्यालय का लोकार्पण किया जायेगा।

!! कार्यालय नगर परिषद् सिंगोली !!

जिला–नीमच म.प्र. फोन 07420–251232, फेक्स–251115

Email - cmosingoli@mpurban.gov.in

क्रमांक 722/2025 सिंगोली, दिनांक 4/7/2025

।।सार्वजनिक सूचना।।

एतद् द्वारा सर्वाजनिक सूचना प्रकाशित की जाती है कि नगर परिषद सिंगोली के स्वामित्व के वार्ड कमांक 03 राजीव अवास भुखण्ड कमांक 59 की आवंटित निलामी राशि आवेदक राधेश्याम पिता कस्तुरचंद तिवारी निवासी सिंगोली के द्वारा आवेदन प्रस्तुत किया गया है। अतः उक्त भुखण्ड कमांक 59 की बकाया राशि निकाय द्वारा जमा करने में किसी को कोई आपत्ति हो तो सूचना प्रकाशित के दिनांक से 7दिवस में राजस्व शाखा नगर परिषद सिंगोली मे उपस्थित होकर आपत्ति प्रस्तुत कर सकते है। अन्यथा समय अवधि पश्चात् प्राप्त आवेदन अनुसार निकाय द्वारा अग्रीम कार्यवाही की जावेगी।

सूचित हो–

अध्यक्ष
नगर परिषद सिंगोली

मुख्य नगर पालिका अधिकारी
नगर परिषद सिंगोली (म.प्र.)

सभी आयुष्मान आरोग्य मंदिर पर 14 जुलाई को होंगे आयुष्मान आरोग्य शिविर आयोजित : सीईओ श्री जैन

सीईओ जिला पंचायत श्री अनुकूल जैन ने जिला पंचायत सभागार में स्वास्थ्य विभाग की बैठक आयोजित कर आयुष्मान आरोग्य शिविर आयोजित करने के संबंध में स्वास्थ्य विभाग को दिशानिर्देश प्रदान किए। आगामी 14 जुलाई को आयुष्मान आरोग्य मंदिर जिसमें प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र शहरी/ग्रामीण, मुख्यमंत्री संजीवनी क्लिनिक, उपस्वास्थ्य केंद्र इन सभी स्वास्थ्य संस्थाओं पर आयुष्मान आरोग्य शिविर का आयोजन किया जाएगा। जनसमुदाय को स्वास्थ्य सुविधायें उनके निवास के निकट उपलब्ध हो इस हेतु आयुष्मान आरोग्य मंदिरों पर 'आयुष्मान आरोग्य शिविरों' का आयोजन किया जा रहा है। इन शिविरों में स्वास्थ्य से संबंधित विविध गतिविधियां आयोजित की जाएगी।

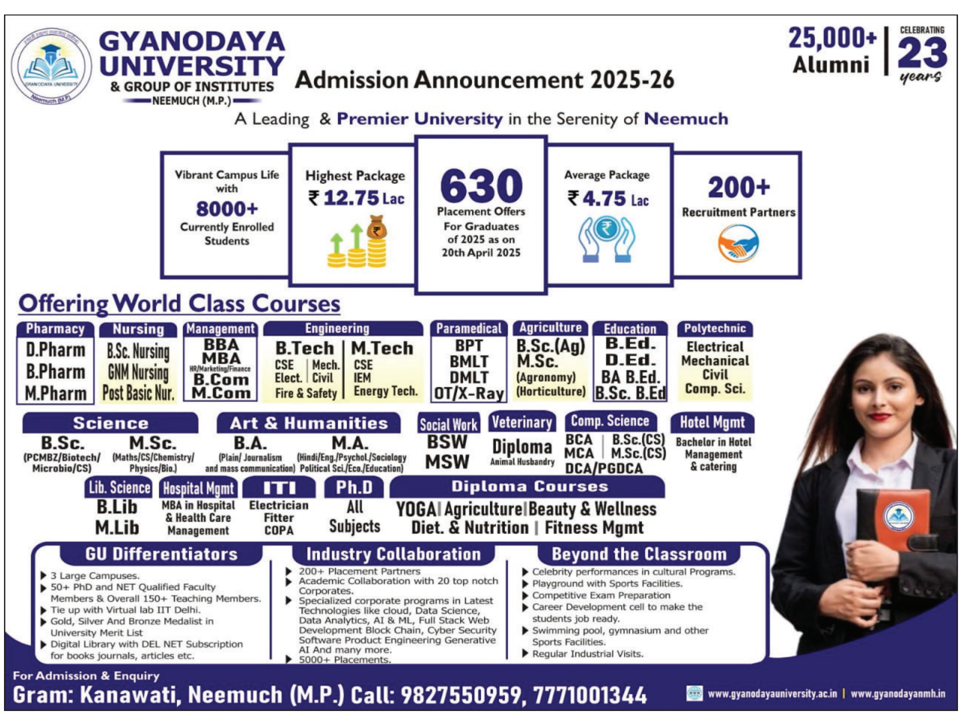

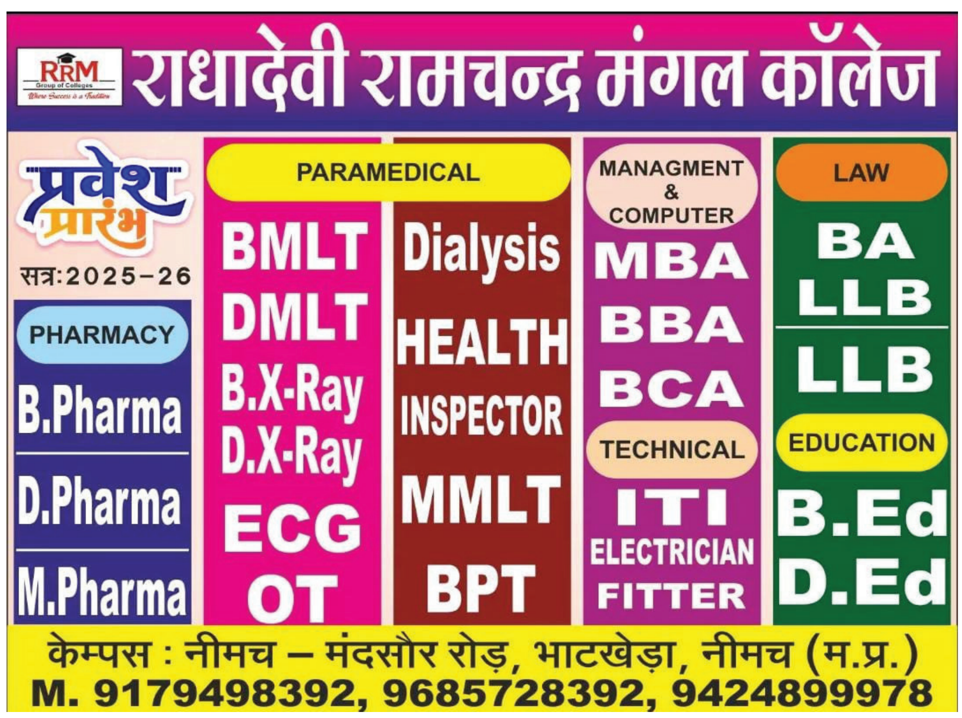

श्री महाकालेश्वर भगवान की सवारियों में सम्मिलित होने वाली भजन मंडलियों की बैठक सम्पन्न

उज्जैन श्री महाकालेश्वर मंदिर प्रबंध समिति के उप प्रशासक श्री सोनी और सहायक प्रशासक श्री मूलचंद जूनवाल ने श्री महाकाल महालोक के कंट्रोल रूम में श्री महाकालेश्वर भगवान की सवारी में सम्मिलित होने वाली भजन मंडली के प्रमुखों की बैठक आयोजित की।बैठक में सभी 09 भजन मंडलियों को निर्देशित किया गया कि सभी सीमित संख्या में व ड्रेस कोड मे सवारी में शामिल होंगे। सवारी में झांकी, शोभा रथ, डी. जे. आदि प्रतिबंधित रहेंगे। सवारी में अधिकृत भजन मंडलियों को ही प्रवेश की अनुमति रहेगी। भजन मंडलियों का स्वरूप सवारी के वैभव अनुरूप होना चाहिए। सवारी में सम्मिलित होने वाली अनुमति प्राप्त भजन मंडली को निर्धारित समय से पूर्व उपस्थित रहने के निर्देश दिए है।

वैदिक उदघोष के साथ होगा श्री महाकालेश्वर भगवान की प्रथम सवारी का स्वागत

उज्जैन। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की मंशानुरूप भगवान श्री महाकालेश्वर की सवारी को अधिक भव्य रूप देने हेतु प्रत्येक सवारी में अलग-अलग थीम रखी गई है, जिसमें प्रथम सोमवार को निकलने वाली श्री महाकालेश्वर भगवान की सवारी में भगवान श्री मनमहेश के स्वरूप में रजत पालकी में विराजित होकर अपने भक्तों को दर्शन देंगे।भगवान श्री महाकालेश्वर जी की सभी सवारियाँ पूर्ण वैभव के साथ नगर भ्रमण पर निकलती है, इसी क्रम में श्री महाकालेश्वर भगवान की प्रथम सवारी 14 जुलाई को वैदिक उद्घोष कार्यक्रम होगा। प्रथम सवारी के अवसर पर श्री महाकालेश्वर जी की सवारी का क्षिप्रातट पर पूजन के दौरान 500 से अधिक वैदिक बटुकों द्वारा वैदिक मंत्रों से उदघोष के रूप में अर्चण किया जावेगा। माँ क्षिप्रा के तट पर दोनों ओर दत्त अखाड़ा क्षेत्र व रामघाट क्षेत्र में उज्जैन में संचालित 25 गुरूकुलों के 500 से अधिक बटुकों द्वारा वेद उदघोष किया जावेगा। इसी क्रम में वैदिक उदघोष के निमित्त आज 25 गुरूकुलों के प्रबंधक-आचार्यो के साथ बैठक आयोजित की गई। बैठक में सभी आचार्यो को सवारी के दौरान होने वाले वेदघोष के संबंध में आवश्यक दिशा-निर्देश प्रदान किये गये साथ ही मंत्रों का चयन कर उनके क्रम का भी निर्धारण किया गया, बटुकों को दत्त अखाड़ा क्षेत्र व रामघाट पर पहुंचाने हेतु बसों की व्यवस्था शिक्षा विभाग के माध्यम से किये जाने के निर्देश प्रदान किये गये। बैठक में सहायक प्रशासक श्री गिरीश तिवारी, प्रभारी निदेशक डॉ. पीयुष त्रिपाठी, व उज्जैन के 25 गुरूकुलों के प्रबंधक-आचार्य उपस्थित थे।

कलेक्टर श्री सिंह के निर्देश पर बुजुर्ग दंपत्ति त्वरित राशन प्राप्त हुआ

जनसुनवाई में आंखों की स्कैनिंग द्वारा ई केवाईसी के उपरांत प्राप्त हुआ त्वरित राशन

उज्जैन। उज्जैन के गांधीनगर, आगर रोड निवासी श्री नंदकिशोर सेंगर की आयु लगभग 80 वर्ष हो चुकी है। उनके राशनकार्ड में वे एवं उनकी पत्नि का नाम शामिल हैं। दोनों की अधिक उम्र होने के कारण उनकी उंगलियों के द्वारा ई केवाईसी नहीं हो पा रही थी। उल्लेखनीय है कि शासन द्वारा सभी राशन कार्डधारी हितग्राहियों की ई केवाईसी करना अनिवार्य किया जा चुका है। ई केवाईसी के कारण राशन प्राप्त न होने की वजह से वह परेशान हो रहे थे उन्होंने जनसुनवाई में राशन प्राप्त न होने का आवेदन दिया। इस पर कलेक्टर श्री रौशन कुमार सिंह के द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए जिला आपूर्ति नियंत्रक श्रीमती शालू वर्मा को संज्ञान लेने हेतु निर्देशित किया । इस पर कार्यवाही करते हुए आपूर्ति नियंत्रक श्रीमती वर्मा के द्वारा हितग्राही की जनसुनवाई के दौरान ही आंखों की पुतलियों के द्वारा स्कैन कर ई केवाईसी की गई व उन्हें कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी श्री नागेश दायमा के द्वारा विगत तीन माह का त्वरित राशन प्रदान किया गया। केवाईसी होने पर एवं राशन प्राप्त होने पर श्री नंदकिशोर सेंगर की बहु श्रीमती सोनू सेंगर के द्वारा शासन एवं राज्य सरकार का आभार व्यक्त किया गया है ।

11 जुलाई से 11 अगस्त तक मनाया जायेगा विश्व जनसंख्या माह

विश्व जनसंख्या माह के अंतर्गत परिवार नियोजन के लिए प्रेरित किया जाएगा

उज्जैन । मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी श्री अशोक कुमार पटेल ने जानकारी दी कि प्रतिवर्ष 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस के रूप में मनाया जाता है, जिसका उद्देश्य लोगो के बीच में बढ़ती हुई जनसंख्या के दुष्परिणामों से अवगत कराना है। यह आवश्यक है कि हम विकराल रूप ले चूकी जनसंख्या वृद्धी को नियंत्रित करने हेतु प्रभावी कदम उठाऐ। इसके लिये शासन द्वारा अनेक प्रकार की परिवार नियोजन कार्यक्रमों/योजनाओं का संचालन किया जा रहा है। 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस के अवसर पर 11 जुलाई से 11 अगस्त 2025 तक विश्व जनसंख्या माह मनाया जायेगा।इस वर्ष विश्व जनसंख्या दिवस की थीम इस प्रकार है- "Healthy timing & Spacing between pregnancies for Planned Parenthood" इस वर्ष विश्व जनसंख्या दिवस अभियान का नारा है " माँ बनने की उम्र वही जब तन और मन की तैयारी सही"।उल्लेखनीय है कि परिवार नियोजन यूनिवर्सल हेल्थ केयर प्राप्त करने हेतु एक महत्वपूर्ण कड़ी है। हमारा प्रदेश भी जनसंख्या स्थिरीकरण के राष्ट्रीय लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में लगातार काम कर रहा है। परिवार नियोजन की जानकारी ना होने से अवांछित गर्भधारण में वृद्धि के कारण मातृ मृत्यु दर, स्वास्थ्य संबंधी जटिलतायें एवं नवजात के स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ता है। परिवार नियोजन की सेवायें मुख्य रूप से आधुनिक ,लघुकालीन और दीर्घकालीन गर्भनिरोधकों, स्थायी परिवार नियोजन साधनों, सूचना, परामर्श और सेवाएं प्रदान करने पर ध्यान केंद्रित करती हैं। "विश्व जनसंख्या दिवस अभियान (WPD) 2025" (11 जुलाई से 11 अगस्त तक) के दौरान जन समुदाय में जागरुकता बढ़ाने, नवाचारों के माध्यम से परिवार नियोजन के महत्व पर व्यापक प्रचार-प्रसार व सेवाप्रदायगी के माध्यम से परिवार कल्याण कार्यक्रम को सार्थक किया जा सकता है।विश्व जनसंख्या माह अन्तर्गत व्यक्तिगत संपर्क के माध्यम से सभी चिन्हित लक्ष्य दंपतियो से संपर्क कर उन्हे प्रेरित करना दंपत्तियों के मध्य परिवार नियोजन के साधनों के विषय में जानकारी प्रदाय की जाने की सुविधा जिसमे वे अपनी पसंद का साधन का उपयोग कर सके। जनसंख्या नियंत्रण के लिए शासन द्वारा अनेक प्रकार की परिवार नियोजन कार्यक्रमों/योजनाओं का संचालन किया जा रहा है।विश्व जनसंख्या दिवस अभियान के दौरान जन समुदाय में जागरूकता बढ़ाना, नवाचारों के माध्यम से परिवार नियोजन के महत्व पर व्यापक प्रचार-प्रसार व सेवाप्रदायगी के माध्यम से परिवार कल्याण कार्यक्रम को किया जाएगा ।

कुपोषण के पूर्ण प्रबंधन से अब सामान्य बच्चों की तरह जीवन जी रही है प्रीति

उज्जैन,मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी श्री अशोक कुमार पटेल ने जानकारी दी कि उज्जैन शहर के शक्करवासा निवासी श्री राकेश व श्रीमती अनिता की पुत्री प्रीति उम्र 02 वर्ष जन्म से ही अत्यंत कमजोर थी व अक्सर बीमार रहती थी। जिस कारण प्रीति के माता-पिता बहुत परेशान रहते थे। प्रीति का स्वास्थ्य खराब होने के कारण उसके माता-पिता उसे लेकर मातृ एवं शिशु चिकित्सालय, चरक भवन उज्जैन पहुंचे जहां पर चिकित्सकों द्वारा प्रीति की जांच कर बताया गया कि प्रीति को अस्पताल मे भर्ती कर उपचार की आवश्यकता है। यह बेहद कमजोर भी है व इसका वजन मात्र 5 किलो 540 ग्राम है, जो इसकी उम्र की तुलना में असामान्य है। यह कुपोषण के लक्षण है इसी कारण से यह अक्सर बीमार रहती है और इसकी सेहत में सुधार नही हो रहा है। यदि प्रीति के कुपोषण का पुरा उपचार एवं पूर्ण प्रबंधन भर्ती रखकर किया जाए तो प्रीति को कुपोषण से बचाया जा सकता है। प्रीति के माता-पिता प्रीति को अस्पताल में भर्ती करने हेतु सहमत हो गये।इसके उपरान्त चिकित्सकों द्वारा प्रीति को पोषण पुनर्वास केन्द्र, चरक भवन उज्जैन में भर्ती किया गया जहां पर प्रीति की आवश्यक जांच करवाई गई एवं उपचार प्रारंभ किया गया । पोषण पुनर्वास केन्द्र में प्रीति को दो सप्ताह भर्ती रख कर आवश्यक उपचार एवं पोष्टिक आहार प्रदान किया गया । चिकित्सक डॉ. मंजुषा पिप्पल व पोषण प्रशिक्षक श्रीमती सोनल ठाकुर एवं पोषण पुनर्वास केन्द्र मे कार्यरत स्टाफ द्वारा पुर्ण निगरानी एवं उचित देखभाल की गई। जिसके फलस्वरूप प्रीति का वजन बढ़कर 6 किलो 500 ग्राम हो गया है। व स्वस्थ होने के पश्चात प्रीति को डिस्चार्ज कर दिया गया। पोषण पुनर्वास केन्द्र से डिस्चार्ज होने के बाद प्रीति की माता को प्रीति को निरन्तर पोषण आहार बनाकर खिलाने का प्रशिक्षण दिया गया और उनकी काउंसलिंग भी की गई डिस्चार्ज के बाद घर पर पोषण आहार प्रदान किया जा रहा है। अब प्रीति सामान्य बच्चों की तरह जीवन जी रही है प्रीति के माता-पिता भी अब खुश है कि उनकी बेटी कुपोषण जैसी गंभीर बीमारी से लड़कर उसे दूर कर सकी। पोषण पुनर्वास केन्द्र मे भर्ती के दौरान प्रीति को नि:शुल्क स्वास्थ्य सेवायें एवं पुर्ण उपचार उपलब्ध करवाया गया।

पेसा एक्ट जनजातीय समाज की स्वतंत्रता और जीवन मूल्यों की रक्षा का कानून : मंत्री पटेल

नवनियुक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत एवं विकासखंड अधिकारियों के प्रशिक्षण का समापन,पेसा कानून के क्रियान्वयन पर हुई विशेष कार्यशाला

नीमच। पंचायत एवं ग्रामीण विकास एवं श्रम मंत्री श्री प्रहलाद सिंह पटेल ने कहा कि नवनियुक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत एवं विकासखंड अधिकारियों की पहली पोस्टिंग प्रदेश के जनजातीय विकासखंड में की जा रही है। इन विकासखंडों में पेसा मोबलाइजर्स के साथ कार्य कर नवनियुक्त अधिकारियों को जमीनी स्तर पर पेसा कानून के क्रियान्वयन की जानकारी मिलेगी। उन्होंने कहा कि पेसा कानून के क्रियान्वयन में पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के साथ ही जनजाति कार्य विभाग की बड़ी भूमिका है। उन्होंने पेसा कानून को जनजातीय समाज की स्वतंत्रता और जीवन मूल्यों की रक्षा का माध्यम बताया। मंत्री श्री पटेल मंगलवार को मध्यप्रदेश जल एवं भूमि प्रबंध संस्थान (वाल्मी) भोपाल में नवनियुक्त जनपद सीईओ एवं बीडीओ के प्रशिक्षण कार्यक्रम एवं पेसा कानून पर कार्यशाला के समापन सत्र को संबोधित कर रहे थे। इस अवसर पर उन्होंने नवनियुक्त अधिकारियों को प्रमाण पत्र प्रदान किये और स्मृति दर्पण पुस्तिका का भी विमोचन भी किया। मंत्री श्री पटेल ने कहा कि शासकीय सेवा को व्यक्तिगत लाभ न मानते हुए समाज और संस्था की प्रतिष्ठा का माध्यम बनना चाहिए। उन्होंने कहा कि अपनी सेवा जनजातीय क्षेत्र में होने पर स्वस्थ मन से, निष्काम भाव से जनजातीय सांस्कृतिक विरासत के लिए, उनके जीवन दर्शन के लिए, उनको दबावों से मुक्त कराने के लिए कार्य करें। मंत्री श्री पटेल ने बताया कि पंचायती राज संस्थाओं को मजबूत करने के लिए प्रदेश के विभिन्न पंचायत में 1400 से अधिक नवीन ग्राम पंचायत भवन स्वीकृत कराए गए है। उन्होंने कहा कि पंचायती राज को मज़बूत करना केवल इमारतें बनाना ही नहीं, बल्कि संसाधनों और सही माहौल की उपलब्धता से संभव है। उन्होंने कहा कि पौधारोपण का उद्देश्य केवल पौधे लगाना ही नहीं उनका संरक्षण करना भी आवश्यक है। अब फेंसिंग और पानी की व्यवस्था के बिना पौधारोपण नहीं होगा। उन्होंने कहा कि यह प्राकृतिक संसाधनों जैसे जल स्रोत, भूमि को पुनर्जीवित करने के प्रयास करना चाहिए। मंत्री श्री पटेल ने कहा कि ग्रामीण विकास में पात्र व्यक्ति को सबसे पहले लाभ मिलना न्याय की सच्ची परिभाषा है। सभी पात्र हितग्रहियों को शासन की योजनाओं के लाभ पहुंचाने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि नए अधिकारियों को जनजातीय विकासखंड में भेजने से उन्हें अधिक जमीनी अनुभव मिलेगा। पेसा एक्ट के अंतर्गत ग्राम सभाओं की सक्रियता और वास्तविक बैठकें सुनिश्चित करने पर बल दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि गौण खनिज अधिकारों की रक्षा की जिम्मेदारी अब जनपद सीईओ की होगी। उन्होंने कहा कि प्रकृति का सम्मान आवश्यक है- नदी, पहाड़ और वृक्ष जीवनदायिनी संगम हैं। जनजातीय समाज की प्रकृति के प्रति आस्था और उनकी जीवन शैली से सीखना चाहिए।

नीमच में बी.एल.ओ. का विधानसभा स्तरीय प्रशिक्षण प्रारंभ

नीमच । भारत निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली एवं मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, मध्य प्रदेश भोपाल के निर्देशानुसार राष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत निर्वाचक नामावली को त्रुटि रहित बनाने के लिए विधानसभा क्षेत्र 229 नीमच के सभी 279 बूथ लेवल अधिकारियों का प्रशिक्षण 8 जुलाई से 11 जुलाई के मध्य आयोजित किया गया है । इसी क्रम में 8 जुलाई 2025 को दो बेच, आयुष भवन तथा तहसील सभाकक्ष में कुल 80 बी.एल.ओ. को प्रातः 11 बजे से सायं 5 बजे तक 5 मास्टर ट्रेनरों द्वारा प्रशिक्षण दिया गया । सभी बी.एल.ओ. द्वारा रोल प्ले एवं अन्य गतिविधियों द्वारा सरल व सहज तरीके से प्रशिक्षण प्राप्त किया। प्रशिक्षण में विधानसभा स्तरीय मास्टर ट्रेनर द्वारा फॉर्म 6,7,8 को सही तरीके से भरने,फील्ड में आने वाली समस्याओं,ऑनलाइन ऐप के माध्यम से फॉर्म भरने आदि से संबंधित गतिविधियों में भाग लेते हुए प्रशिक्षण प्रदान किया । प्रशिक्षण के अंत में सभी का ऑनलाइन टेस्ट लिया गया । बी.एल.ओ. की वीडियो बाइट भी ली गई, जिसमें उन्होंने अपने प्रशिक्षण से संबंधित विचार व्यक्त किए। प्रशिक्षण में ई.आर ओ., ए.ई.आर.ओ. द्वारा प्रशिक्षण की गंभीरता के संबंध में मार्गदर्शन दिया गया।

जनसुवाई में प्राप्त आवेदनों का समय-सीमा में निराकरण करें-कलेक्टर चंद्रा

कलेक्टर ने की जनसुनवाई- 98 आवेदकों की सुनी समस्याएं

नीमच । कलेक्टर श्री हिमांशु चंद्रा ने कलेक्टोरेट सभाकक्ष नीमच में मंगलवार को जनसुनवाई करते हुए98 आवेदकों की समस्याएंसुनी और उनका निराकरण करने के निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिए। इस अवसर पर अपर कलेक्टर श्रीमती लक्ष्मी गामड़, एसडीएम श्री संजीव साहू, सभी डिप्टी कलेक्टर, सी.एम.ओ. नीमच श्री दुर्गा बामनिया सहित जिला अधिकारी उपस्थित थे।

जनसुनवाई में दयानन्द मार्ग नीमच के श्यामलाल सोनी, जवाहर नगर नीमच की श्वेता सोनी, थड़ोली के कारूलाल, विक्रम, श्यामलाल, सुवासरा बुजुर्ग के सुरेश, पालरी के नंदलाल, उकार, रायसिंहपुरा के बापुसिह, कंचन नगर नीमच के ओमप्रकाश काछी मोहल्ला मनासा के सरोज कुशवाह, कुकड़ेश्वर की प्रेमबाई, मनासा के हरिशचंद्र राठौर, खेड़ामोड़ी के कमलसिह, रतनगढ़ की ममताने भी अपनी समस्याओं से संबंधित आवेदन प्रस्तुत किए। इसी तरह जससिंगपुरा के नानूराम, किशनपुरा के राहुल, आलोरी गरवाड़ा के किशनलाल, नीमच सिटी के सुरेन्द्र सोनी, मुकेरा के हेमराज, बघाना के आसिफ ने भी अपनी समस्याओं से संबंधित आवेदन जनसुनवाई में प्रस्तुत किए। कलेक्टर ने जनसुनवाई में प्राप्त सभी आवेदनों का समय-सीमा में निराकरण कर, की गई कार्यवाही से अवगत कराने के निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिए।

मध्यप्रदेश में खेलो इंडिया योजना के क्रियान्वयन का अध्ययन

नीमच। सहकारिता, खेल एवं युवा कल्याण मंत्री श्री विश्वास कैलाश सारंग से प्रधानमंत्री कार्यालय, नई दिल्ली के निदेशक श्री ऋग्वेद मिलिंद ठाकुर ने शनिवार को भेंट की। यह भेंट श्री ठाकुर के दो दिवसीय भोपाल प्रवास के दौरान संपन्न हुई, जिसका उद्देश्य "खेलो इंडिया" योजना के अंतर्गत राज्य में खेल अधोसंरचना, नवाचार, प्रशिक्षण और खिलाड़ियों के विकास संबंधी पहलुओं का प्रत्यक्ष अध्ययन करना था। मंत्री श्री सारंग ने जानकारी दी कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की दूरदर्शी सोच से प्रेरित 'खेलो इंडिया' पहल को प्रदेश में सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए क्रियान्वित किया जा रहा है। राज्य सरकार द्वारा 'खेलो बढ़ो अभियान' के माध्यम से भी नवोदित खिलाड़ियों को प्रशिक्षण, संसाधन और प्रतिस्पर्धा के मंच उपलब्ध कराए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि मध्यप्रदेश में खेल अधोसंरचना को वैश्विक मानकों के अनुरूप विकसित किया गया है, जिससे राज्य के खिलाड़ी राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय मंचों पर उत्कृष्ट प्रदर्शन कर रहे हैं। श्री ठाकुर ने भेंट के दौरान मध्यप्रदेश सरकार द्वारा खेलो इंडिया योजना के प्रभावी क्रियान्वयन की सराहना करते हुए कहा कि प्रदेश ने न केवल योजनाओं को धरातल पर उतारा है, बल्कि खेल अधोसंरचना और प्रतिभा संवर्धन के क्षेत्र में कई अनुकरणीय उदाहरण प्रस्तुत किए हैं।

खेलो इंडिया में मध्यप्रदेश बना अग्रणी राज्य

मंत्री श्री सारंग ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री मोदी की प्रेरणा से खेलों के प्रति युवाओं में जोश और उत्साह का जो वातावरण बना है, वह भविष्य में भारत को ओलंपिक जैसे वैश्विक आयोजनों में और अधिक पदक दिलाने में सहायक सिद्ध होगा। श्री ठाकुर ने अपने दौरे की समापन टिप्पणी में कहा कि मध्यप्रदेश में खेलो इंडिया योजना को अत्यंत समर्पण एवं व्यावसायिक दक्षता के साथ लागू किया गया है। राज्य की खेल अधोसंरचना, नवाचारों और अकादमिक पहल से यह स्पष्ट है कि प्रदेश खेलों के क्षेत्र में उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल कर रहा है।

खिलाड़ियों से संवाद कर प्रशिक्षण सुविधाओं का लिया जायजा

अपने दो दिवसीय दौरे के पहले दिन 4 जुलाई 2025 को श्री ठाकुर ने भोपाल में खेल एवं युवा कल्याण विभाग तथा खेलो इंडिया योजना से जुड़े वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की। इस बैठक में "खेलो इंडिया स्टेट सेंटर ऑफ एक्सीलेंस" (रोइंग, शूटिंग और हॉकी), राज्य में संचालित 52 खेलो इंडिया सेंटर्स और खेलो इंडिया एथलीट स्कीम की विस्तृत समीक्षा की गई। इस दौरान अधिकारियों ने योजना को और अधिक प्रभावी बनाने हेतु अपने अनुभव और सुझाव साझा किए। बैठक में वर्ष 2022 में भोपाल में सफलतापूर्वक आयोजित 'खेलो इंडिया यूथ गेम्स' के अनुभवों और उससे प्राप्त प्रशासनिक सीखों पर भी चर्चा की गई। चर्चा के दौरान योजना की संचालन व्यवस्था, लॉजिस्टिक प्रबंधन, खिलाड़ियों की सहभागिता और जन-भागीदारी जैसे विषयों पर गहन संवाद हुआ। दौरे के दूसरे दिन 5 जुलाई 2025 को श्री ठाकुर ने खेलो इंडिया स्टेट सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, भोपाल का भ्रमण किया। इस दौरान उन्होंने प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे खिलाड़ियों, उनके प्रशिक्षकों, सहायक स्टाफ और संबंधित प्रशासनिक अधिकारियों से संवाद कर उनके अनुभवों एवं सुझावों को जाना।

पीड़ितों के जाति प्रमाण पत्र बनवाने की अनुसंधान अधिकारी तत्काल कार्यवाही करें- श्रीमती गामड़

नीमच । अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम अंतर्गत दर्ज प्रकरणों में पीड़ितों के जाति प्रमाण पत्र नहीं होने की दशा में संबंधित प्रकरण के अनुसंधान अधिकारी संबंधित अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) से संपर्क कर शीघ्र जाति प्रमाण पत्र बनवाने की कार्यवाही करें, ताकि जाति प्रमाण पत्र के अभाव में पीड़ित को राहत राशि प्राप्त होने में विलंब न हो। यह निर्देश अपर कलेक्टर श्रीमती लक्ष्मी गामड़ने सोमवार को कलेक्टोरेट सभाकक्ष नीमच में अत्याचार निवारण अधिनियम अंतर्गत आयोजित जिला स्तरीय सतर्कता एवं मॉनिटरिंग समिति की समीक्षा बैठक में संबंधित अधिकारियों को दिये। बैठक के प्रारंभ में जिला संयोजक जनजातीय कार्य विभाग नीमच श्री राकेश कुमार राठौर, ने पूर्व बैठक के कार्यवाही विवरण का वाचन किया तथा विभाग द्वारा पीड़ितों के प्रकरणों में राहत वितरण की जानकारी दी। निरीक्षण अ.जा.क.थाना श्रीमती शब्बी मेव, ने बैठक में विभाग से संबंधित प्रकरणों की जानकारी दी गई। कुछ प्रकरणों में पीड़ितों के जाति प्रमाण नहीं होने तथा आरोपी की गिरफ्तारी नहीं होने के संबंध में समिति के अशासकीय सदस्यों द्वारा किये गये प्रश्न पर अपर कलेक्टर श्रीमती गामड़ ने निर्देश दिये, कि आरोपियों की गिरफ्तारी शीघ्र कर, चालान न्यायालय में प्रस्तुत करने की कार्यवाही की जाए। बैठक में समिति सदस्यगण श्री हेमन्त हरित, श्री अशोक जोशी, श्री रतनलाल मालावत, श्री अनूप व्यास, जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्री जगदीश चौहान, अति. जिला अभियोजन अधिकारी श्री चन्द्रकांत नाफडे, सहायक संचालक कृषि श्री दिनेश मंडलोई, जिला कोषालय अधिकारीश्री ब्रजमोहन सुरावतभी उपस्थित थे। बैठक के अंत में जिला संयोजक, जनजातीय कार्य एवं अनुसूचित जाति कल्याण विभाग श्री राकेश कुमार राठौर, ने आभार व्यक्त किया।

नरवाई प्रबंधन के लिए किसानों को वेस्ट कम्पोजर का उपयोग करने के लिए प्रेरित करें- श्री चंद्रा

समय-सीमा पत्रों के निराकरण की बैठक में कलेक्टर ने दिए निर्देश

नीमच । जिले में किसानों को नरवाई प्रबंधन के लिए ईफकों के वेस्ट् कंपोजर की बॉटल का उपयोग करने के लिए प्रेरित किया जाए। कृषि विभाग मैदानी अमले के माध्यम से किसानों से चर्चा कर, उन्हें नरवाई प्रबंधन के प्रति जागरूक करें। हेप्पीसीडर के प्राप्त लक्ष्य अनुरूप प्रकरण तैयार कर, किसानों का 31 जुलाई तक पंजीयन करवाए। यह निर्देश कलेक्टर श्री हिमांशु चंद्रा ने मंगलवार को कलेक्टोरेट सभाकक्ष नीमच में आयोजित समय-सीमा पत्रों के निराकरण की साप्ताहिक समीक्षा बैठक में उप संचालक कृषि को दिए। बैठक में एडीएम श्रीमती लक्ष्मी गामड़, सभी एसडीएम, डिप्टी कलेक्टर्स एवं जिला अधिकारी उपस्थित थे। बैठक में कलेक्टर ने क्षतिग्रस्त, पुराने, जीर्ण शीर्ण शासकीय भवनोंको डिस्मेंटल करने की समीक्षा में निर्देश दिए, कि किसी भी क्षतिग्रस्त, जीर्णशीर्ण अथवा मरम्मत योग्य भवन में स्कूल, कक्षाएं या आंगनवाड़ी संचालित ना हो। यदि कही पर कोई अन्य शासकीय भवन उपलब्ध ना हो, तो भी वैकल्पिक व्यवस्था के तौर पर किराए का भवन लेकर, उनमें कक्षाएं, आंगनवाड़ी संचालित की जाए। जिला शिक्षा अधिकार, डीपीसी, जिला संयोजक आदिम जाति कल्याण विभाग, महिला एवं बाल विकास अधिकारी अपनी संस्थाओं के भवनों का निरीक्षण करवाकर, यह सुनिश्चित कर लें, कि कोई भी भवन क्षतिग्रस्त या जर्जर नहीं है। सभी भवन पूर्णतः सुरक्षित है। किसी भी परिस्थिति में जीर्णशीर्ण भवन में कक्षाएं संचालित ना हो। कलेक्टर ने सभी संबंधित विभागों के अधिकारियों को आगामी टी.एल. में इस आशय का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के निर्देश दिए, कि सभी स्कूल, कक्षाए, छात्रावास एवं आंगनवाड़ी केंद्र सुरक्षित भवनों में ही संचालित हो रहे है। बैठक में कलेक्टर ने निर्देश दिए, कि 31 जुलाई तक शिक्षण संस्थाओं के माध्यम से सभी विद्यार्थियों के जाति प्रमाण पत्र बनाने के फार्म तैयार कर, एसडीएम के माध्यम से जाति प्रमाण पत्र बनवाना सुनिश्चित करें। बीईओ एवं बीआरसी इस कार्य को प्राथमिकता से करवाएं। कलेक्टर ने डीईओ और डीपीसी को निर्देश दिए, कि सभी शालाओं में शाला प्रवेश के योग्य शतप्रतिशत विद्यार्थियों का नामांकन सुनिश्चित करवाएं। कोई भी विद्यार्थी शाला में प्रवेश से वंचित ना रहे। जिला नोडल अधिकारी भी अपनी क्षेत्र की पंचायतों के स्कूलों में विद्यार्थियों के नामांकन की समीक्षा करें और यदि कोई विद्यार्थी ड्राप आउट है, तो उसे विद्यालय में प्रवेश दिलवाए। बैठक में कलेक्टर श्री चंद्रा ने दस्तक अभियान की तैयारियों की भी विस्तार से समीक्षा की और सभी जिला नोडल अधिकारियों को दस्तक अभियान की अपने क्षेत्र की पंचायतों में नियमित मॉनिटरिंग एवं समीक्षा करने के निर्देश दिए।

॥ श्री गणेशाय नमः ॥ ॥ श्री हनुमन्ते नमः ॥ ॥ माँ जोगणिया नमः ॥ ॥ ॐ नमः शिवाय ॥

बालाजी यात्रा कम्पनी

कांकरियातलाई, जिला–नीमच (म.प्र.)

यात्रा अवधि 11-13 दिन यात्रा दि. 10 जुलाई से 15 जुलाई के बीच निकलेगी

स्लीपर बस द्वारा

किराया- 11501 रू.

चलो अयोध्या धाम

यात्रा प्रस्थान - (उत्तरप्रदेश) सुबह का चाय, नाश्ता, शाम का भोजन व रात्रि विश्राम धर्मशाला कंपनी की तरफ से रहेगा

चित्रकूट - मन्दाकिनी स्नान, हनुमान धारा, सीता कुण्ड, वाल्मिकी आश्रम
प्रयागराज- गंगा, यमुना, सरस्वती तीनों नदियों का संगम, अक्षय वट मन्दिर दर्शन
(बिहार) -गयाजी (अकाल मृत्यु वालों की क्रिया गयाजी में होती है व मोक्ष प्राप्त होता है।)
बाराणसी - काशी विश्वनाथ ज्योर्तिलिंग दर्शन, नाव द्वारा चौरासी घाट के दर्शन एवं परिक्रमा
अयोध्या - श्रीराम जन्मभूमि, सरयु स्नान, हनुमान गढ़ी, दशरथ महल
गोकुल - यमुना स्नान, नन्द भवन, 84 खम्भा मंदिर
मथुरा - श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर
वृंदावन - प्रेम मन्दिर, गौरी गोपाल वृद्धा आश्रम, बरसाना, राधा रानी मन्दिर, किर्ती मन्दिर
राजस्थान - मेहन्दीपुर बालाजी, जयपुर गलताजी, खाटूश्यामजी, पुष्कर

यात्रा के नियम व शर्ते

1) 5000/रू. देकर अपनी सीट रिजर्व करवा लेंवे शेष राशि यात्रा प्रारम्भ से पहले ली जायेगी।
2) यात्री को शुद्ध भोजन तिलम संघ तेल व देशी घी के साथ एक टाईम व प्रातः चाय नाश्ता कम्पनी की ओर से दिया जायेगा। 3) ठहरने की व्यवस्था कम्पनी की तरफ से होगी जिसमें सामुहिक हॉल होगा।
4) यात्री अपने साथ में पानी की बोतल, जरूरी कपड़े, बेट्री, बिस्तर, दवाईयां साथ लावें।
5) जहां तक वहां तक बस अन्यथा टेम्पो, टेक्सी का किराया यात्री स्वयं का होगा।
6) यात्रा में प्राकृतिक आपदा व अक्समात दुर्घटना की जिम्मेदारी संचालक की नहीं होगी।
7) 50 सवारी होने पर ही बस रवाना होगी एवं आधी सवारी को बैठने के लिए मुड्डा दिया जायेगा।
8) यात्रा का सर्वाधिकार प्रबंधक का होगा। समयानुसार रूट बदल सकता है एवं रात्रि में गाड़ी समयानुसार चलाई जायेगी। 9) कोई भी विवाद का न्यायक्षेत्र जावद ही होगा।
10) यात्री को यात्रा अधुरी छोड़ने पर रिफण्ड वापस नहीं दिया जायेगा।

अधिक जानकारी हेतु सम्पर्क करें-

व्यवस्थापक
मुकेश कुमार प्रजापत (कांकरिया तलाई)
मो. 9753746418

धाकड़ कम्प्यूटर्स बेगूं 9828251154

॥ श्री गणेशाय नमः ॥ ॥ श्री हनुमन्ते नमः ॥ ॥ माँ जोगणिया नमः ॥ ॥ ॐ नमः शिवाय ॥

बालाजी यात्रा कम्पनी

कांकरियातलाई, जिला–नीमच (म.प्र.)

स्पेशल बस द्वारा

यात्रा अवधि 23-26 दिन
किराया- 26101 रू.प्रति सवारी (2X2 बस)
किराया- 24101 रू.प्रति सवारी (3X2 बस)

चारधाम यात्रा (गंगोत्री, यमनोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ)

दर्शनीय स्थल –

प्रस्थान दिनांक अगस्त 2025 (रक्षा बंधन के बाद)

राजस्थान – खाटुश्याम, सालासर बालाजी, देशनोक करणी माता
पंजाब – स्वर्ण मन्दिर, जलिया वाला बाग, बागा बोर्डर
जम्मु – चीची माता, वैष्णोदेवी, बाण गंगा
हिमाचल – चावण्डा माता, कागड़ा माता, ज्वालादेवी, चिन्तपूर्णी, नैनादेवी
हरियाणा – कुरू क्षैत्र, महाभारत युद्ध भूमि, ब्रह्मकुण्ड
उत्तराखण्ड– हरिद्वार, गंगाजी, मंशादेवी, ऋषिकेश, राम झुला–लक्ष्मण झुला, तेरा मंजिला मंदिर, यमनोत्री, गंगोत्री, गोरीकुण्ड, केदारनाथ, बद्रीनाथ,
उत्तरप्रदेश – सोरमजी घाट, गोकुल, मथुरा, वृन्दावन प्रेममंदिर, झमुना, रमणरेती, गोवर्धननाथ,
राजस्थान – मेहन्दीपुर बालाजी, जयपुर, गलताजी, पुष्कर, भीलवाड़ा से कांकरिया तलाई

सुबह का चाय, नाश्ता, शाम का भोजन व रात्रि विश्राम धर्मशाला कंपनी की तरफ से रहेगा

यात्रा के नियम व शर्ते

1) 5000/रू. देकर अपनी सीट रिजर्व करवा लेंवे शेष राशि यात्रा प्रारम्भ से 5 दिन पहले ली जायेगी।
2) यात्री को शुद्ध भोजन तिलम संघ तेल व देशी घी के साथ एक टाईम व प्रातः चाय नाश्ता कम्पनी की ओर से दिया जायेगा। 3) ठहरने की व्यवस्था कम्पनी की तरफ से होगी जिसमें सामुहिक हॉल होगा।
4) यात्री अपने साथ में पानी की बोतल, जरूरी कपड़े, बेट्री, बिस्तर, दवाईयां साथ लावें।
5) जहां तक वहां तक बस अन्यथा टेम्पो, टेक्सी का किराया यात्री स्वयं का होगा।
6) यात्रा में प्राकृतिक आपदा व अक्समात दुर्घटना की जिम्मेदारी संचालक की नहीं होगी।
7) 50 सवारी होने पर ही बस रवाना होगी एवं आधी सवारी को बैठने के लिए मुड्डा दिया जायेगा।
8) यात्रा का सर्वाधिकार प्रबंधक का होगा। समयानुसार रूट बदल सकता है एवं रात्रि में गाड़ी समयानुसार चलाई जायेगी। 9) कोई भी विवाद का न्यायक्षेत्र जावद ही होगा।
10) यात्री को यात्रा अधुरी छोड़ने पर रिफण्ड वापस नहीं दिया जायेगा।

अधिक जानकारी हेतु सम्पर्क करें-

व्यवस्थापक मुकेश कुमार प्रजापत (कांकरिया तलाई) मो. 9753746418

धाकड़ कम्प्यूटर्स बेगूं 9828251154

ज्ञानार्थ प्रवेश | डाईस कोड - 23190402626 | सेवार्थ प्रस्थान

एकीकृत शा.बा.उ.मा.वि. पिपलिया स्टेशन

महात्मा ज्योतिबा फूले चौराहा, पिपलिया स्टेशन, जिला- मंदसौर (म.प्र.)

पढ़े चलो, बढ़े चलो

कक्षा - 1 से 12 तक प्रवेश प्रारंभ

विद्यालय की विशेषताएं

- म.प्र. शासन के दिशा निर्देशानुसार श्रेष्ठ शिक्षण व्यवस्था एवं बेहतर अनुशासन प्रबंधन
- प्रशिक्षित अनुभवी विषय विशेषज्ञ शिक्षकों द्वारा अध्यापन कार्य
- छात्रों के सर्वांगीण विकास हेतु उनकी अभिरूचि के अनुरूप अध्यापन।
- प्रतिमाह दक्षता आधारित मासिक टेस्ट एवं मूल्यांकन व्यवस्था।
- NCERT पाठ्यक्रम के अनुसार नियमित अध्यापन कार्य।
- English Spoken कोर्स की अलग कक्षाएँ संचालित।
- विषय विशेषज्ञों द्वारा समय - समय पर कॅरियर काउंसलिंग।
- कमजोर छात्रों के लिए निदानात्मक व अतिरिक्त कक्षाएँ।
- अंग्रेजी, गणित, विज्ञान विषय की विशेष कक्षाएँ एवं प्रोत्साहित टिप्स।
- विद्यालय में विभिन्न गतिविधियों पर आधारित शिक्षा (स्काउट, रेडक्रॉस, वार्षिकोत्सव, प्रतिभा पर्व)।
- कहानी उत्सव, खेलकूद, चित्रकला आदि के द्वारा बालक का सर्वांगीण विकास।
- प्राथमिक एवं माध्यमिक स्तर पर निःशुल्क गणवेश और प्रतिदिन स्वादिष्ट रूचिकर मध्यान्ह भोजन की व्यवस्था।
- अभिव्यक्ति कौशल विकास हेतु बालसभा का आयोजन एवं CCLE गतिविधि (प्रत्येक शनिवार)।
- शासकीय विद्यालयों से 6-12 वीं कक्षा उत्तीर्ण करने पर मेडिकल कॉलेज में प्रवेश में 5% आरक्षण प्रोत्साहन।
- अनुसूचित जनजाति वर्ग के छात्रों हेतु सर्वसुविधायुक्त (50 छात्र) छात्रावास की उत्तम व्यवस्था।
- शासन द्वारा विषय विशेषज्ञ शिक्षकों के माध्यम से निःशुल्क कोचिंग की सुविधा उपलब्ध।
- टेबलेट के माध्यम से डिजीटल शिक्षा व्यवस्था।
- सांईस, आर्ट्स, कामर्स संकाय की उपलब्ध।
- Vocational विषय + डिजीटल ICT लैब सुविधा।

विद्यालय के मेधावी विद्यार्थी

CLASS 10TH

सौरव-किशन जी 10वीं 91.40%

सुमित-गोपाल जी 10वीं 85.40%

युवराज-गंगाराम जी 10वीं 83.40%

कमलेश-अशोक जी 10वीं 79.80%

नंदन-मंगलदास जी 10वीं 76.60%

CLASS 12TH

रोहित-भैरूलाल जी 12वीं 87.20% स्कूटी विजेता

दीपक-बाबुलाल जी 12वीं 82.60% लेपटॉप विजेता

आदित्य-प्रहलाद जी 12वीं 81.80% लेपटॉप विजेता

पुष्पेन्द्रसिंह-नेपालसिंह जी 12वीं 79.60% लेपटॉप विजेता

अंकित-मुकेश जी 12वीं 79.40% लेपटॉप विजेता

पुष्कर-घनश्याम जी 12वीं 77.60% लेपटॉप विजेता

प्रिन्स-ओमप्रकाश जी 12वीं 77.40% लेपटॉप विजेता

हार्दिक बधाईयाँ

"मानव का सर्वांगीण विकास ही शिक्षा का अंतिम ध्येय है।"

विशाल-सुनिल जी 12वीं 77.20% लेपटॉप विजेता

सुमित-बलराम जी 12वीं 76.00% लेपटॉप विजेता

बबलु-भागीरथ जी 12वीं 75.80% लेपटॉप विजेता

दीपक-सुरेश जी 12वीं 75.80% लेपटॉप विजेता

युवराज-दिनेश जी 12वीं 75.60% लेपटॉप विजेता

पीयूष-फूलचन्द्र जी 12वीं 75.40% लेपटॉप विजेता

कुन्दन-कृष्णकुमार जी 12वीं 75.40% लेपटॉप विजेता

अर्श 7000409609

आव्हानकर्ता : प्राचार्य - बी.आर. सिसोदिया एवं समस्त विद्यालय परिवार

स्वत्वाधिकारी, मुद्रक, प्रकाशक, सम्पादक अविनाश जाजपुरा के द्वारा यश प्रिंटिंग प्रेस स्कीम नम्बर 36 ए कलेक्टर कार्यालय के सामने मुद्रित एवं कास्मो स्कूल के पास इन्दिरा नगर नीमच से प्रकाशित - सम्पर्क 9893796737 (सभी विवादों का न्यायिक क्षेत्र नीमच रहेगा ।)